



## **The Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2008**

Act 15 of 2008

### **Keyword(s):**

Academic Council, University Grants Commission

Amendment appended: 7 of 2020

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय  
उज्जैन (म.प्र.)



**अधिनियम 2006**  
(15 अगस्त 2008 से प्रभावशील)

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, अधिनियम 2006

(15 अगस्त 2008 से प्रभावशील)



2008

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक ध्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीजन  
म. प्र. 108-भोपाल-06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2008—भाद्र 3, शक 1930

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2008

क्र. एफ 52-03-06-3-अड़तीस.—महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 15 अगस्त 2008 को उक्त तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि, उक्त अधिनियम प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

No. F-52-03-06-3-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya, Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008), the State Government, hereby, appoints 15th August 2008, as the date on which the said Act shall be deemed to have come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सेवाराम, सचिव.



मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्ययकी पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 अगस्त 2008—श्रावण 13, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्र. 4924-259-इक्कीस-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 जुलाई, 2008 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक १५ सन् २००८.

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.
४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.
५. अधिकारिता.
६. विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.
७. विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.
८. विश्वविद्यालय में अध्यापन.
९. विश्वविद्यालय का कुलाधिपति.
१०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.
११. साधारण परिषद्.
१२. साधारण परिषद् का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव.

## धाराएं :

१३. साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.
१४. साधारण परिषद् की शक्तियां.
१५. साधारण परिषद् का सम्मिलन.
१६. कार्य परिषद्.
१७. कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य.
१८. कार्य परिषद् की पदावधि.
१९. कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.
२०. कार्य परिषद् का सम्मिलन.
२१. स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति.
२२. विद्या परिषद्.
२३. विद्या परिषद् की सदस्यता.
२४. विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.
२५. विद्या परिषद् के सम्मिलन.
२६. वित्त समिति.
२७. विश्वविद्यालय के अधिकारी.
२८. कुलपति.
२९. प्रो-वाइस चांसलर.
३०. विभागाध्यक्ष.
३१. कुल सचिव.
३२. खजन समिति.
३३. परिचिनयम.
३४. परिचिनयम किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३५. अध्यादेश.
३६. अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे.
३७. विनियम.
३८. पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति.
३९. उपदान तथा पेंशन.
४०. विश्वविद्यालय की निधि.
४१. वार्षिक लेखे तथा संपरीक्षा.
४२. वित्तीय प्राक्कलन.
४३. वार्षिक रिपोर्ट.
४४. संविदाओं का निष्पादन.
४५. संस्कृत में उपाधि, उपाधि-पत्र आदि का प्रदान किया जाना.
४६. सम्मानिक उपाधियां.
४७. उपाधि या उपाधि-पत्र का प्रत्याहरण.
४८. सम्पत्ति का अन्तरण.
४९. रिक्तियों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी.
५०. प्रारंभ पर कठिनाइयों का दूर किया जाना.
५१. अस्थायी उपबन्ध.
५२. कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध.
५३. संरक्षण.
५४. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
५५. संबद्धता, मान्यता और अनुमोदन.
५६. परिचिनयमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और विधान सभा के समक्ष रखा जाना.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १५ सन् २००८.

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६.

[ दिनांक ३१ जुलाई, २००८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक ४ अगस्त, २००८ को प्रथमवार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश राज्य में संस्कृत भाषा के विकास और संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार के लिए महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय को स्थापित और निगमित करने और उससे संबंधित या आनुवंशिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.
- (३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं.

- (क) "विद्या परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्;
- (ख) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (ग) "कार्य परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की कार्य परिषद्;
- (घ) "साधारण परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की साधारण परिषद्;
- (ङ) "प्रो-वाइस चांसलर" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का प्रो-वाइस चांसलर;
- (च) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुल सचिव;
- (छ) "परिनियम", "अध्यादेश" तथा "विनियम" से अभिप्रेत हैं विश्वविद्यालय के उत्समय प्रवृत्त परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;
- (ज) " विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय;
- (झ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ३) की धारा ४ के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;
- (ञ) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

३. (१) मध्यप्रदेश राज्य में महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन.

(२) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उज्जैन में होगा और वह अध्यापन एवं गवेषणा संबंधी क्रियाकलापों के लिए राज्य के भीतर या उसके बाहर अन्य स्थानों पर भी शिविर (कैम्पस) स्थापित कर सकेगा.

(३) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, चल तथा अचल दोनों संपत्ति अर्जित करने और धारित करने, उसके द्वारा धारित किसी संपत्ति का अन्तरण करने और संविदा करने और इसके गठन के प्रयोजनों के लिए समस्त अन्य आवश्यक कृत्य करने की शक्ति होगी और यह उक्त नाम से याद चलाएगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जाएगा.



(४) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध समस्त वादों और कार्यवाहियों में अभिवचना, कुलसचिव या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या उसके द्वारा नाम-निर्देशित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा सत्यापित किए जाएंगे और ऐसे वादों तथा ऐसी कार्यवाहियों में सरसत आदेशिकाएं, कुल सचिव को जारी की जाएंगी और उस पर ताम्बोल की जाएगी.

विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

४. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

- (एक) संस्कृत की शिक्षा और ज्ञान का अभिवर्धन तथा प्रसार करना;
- (दो) संस्कृत भाषा के ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए अभिभाषणों, सेमिनारों, परिसंवादों और अधिवेशनों को आयोजित करना;
- (तीन) परीक्षाएं आयोजित करना और उपाधियां तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताएं प्रदान करना; और
- (चार) ऐसे समस्त कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त उद्देश्यों या उनमें से किसी भी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या सहायक है.

अधिकारिता.

५. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा :

परन्तु राज्य सरकार विश्वविद्यालय को, उसके अध्यापन या गवेषणा संबंधी क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप को अंशतः या पूर्णतः चलाने के लिए मध्यप्रदेश राज्य से बाहर की किसी संस्था के साथ सहयोग के लिए अनुमति दे सकेगी.

विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों में विभेद का प्रतिषेध.

६. विश्वविद्यालय, भारत के किसी नागरिक के विरुद्ध इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने या उस पर अधिरोपित कृत्यों का पालन करने में धर्म, वंश, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, राजनीतिक या अन्य अभिमत के आधार पर या उनमें से किसी भी आधार पर विभेद नहीं करेगा.

विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य.

७. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :—

- (एक) विश्वविद्यालय का और गवेषणा, शिक्षा और शिक्षण के केन्द्रों का, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक है, प्रशासन तथा प्रबंध करना;
- (दो) संस्कृत के ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं में, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षण हेतु उपबंध करना और गवेषणा के लिए और संस्कृत के ज्ञान के अभिवर्धन तथा प्रसार के लिए उपबंध करना;
- (तीन) संस्कृत तथा सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं पर गवेषणा कार्य प्रयोजित करना तथा हाथ में लेना;
- (चार) उपाधि या उपाधि-पत्र के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम हेतु अर्हताएं विहित करना और विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश को विनियमित करना;
- (पांच) बहिर्वर्ती (एक्स्ट्राक्यूरल) अध्यापन तथा विस्तार सेवा आयोजित करना तथा हाथ में लेना;
- (छः) ऐसी शर्तों के अध्यापन रहते हुए, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षाएं आयोजित करना तथा व्यक्तियों को उपाधि-पत्र या प्रमाण-पत्र देना और उपाधियां तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना और ऐसे किसी उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों, उपाधियों या विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का उचित तथा पर्याप्त कारणों से प्रत्याहरण करना;
- (सात) परिनियमों में अधिकथित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;
- (आठ) फीस तथा अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और प्राप्त करना;



- (नौ) छात्र निवास (हॉल) तथा छात्रावास स्थापित करना तथा बनाए रखना और विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास के स्थानों को मान्यता देना और निवास के किसी ऐसे स्थान को दी गई मान्यता का प्रत्याहरण करना;
- (दस) आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य एवं व्याख्याता के पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित कोई अन्य अध्यापन, विद्या संबंधी या गवेषणा पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (ग्यारह) तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (बारह) विश्वविद्यालय के छात्रों तथा कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित करना तथा उसका पालन करवाना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जाएं;
- (तेरह) अध्वेता वृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार तथा पदक संस्थित करना तथा प्रदान करना;
- (चौदह) विश्वविद्यालय की किन्हीं कक्षाओं या विभागों को समाप्त करना या उनका चलाना बंद करना;
- (पन्द्रह) ऐसे प्रयोजनों के लिए जिस पर परस्पर सहमति हो, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो कि विश्वविद्यालय समय-समय पर, अवधारित करे, संस्कृत में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा गवेषणा और सहायक विषयों के संबंध में किसी अन्य संगठन के साथ सहयोग करना;
- (सोसह) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना तथा उसके लेखाओं का प्रबंध करना;
- (सत्रह) ऐसे अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, सदान तथा दान प्राप्त करना, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए हों तथा जो उन उद्देश्यों से संगत हों, जिनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;
- (अठारह) कोई ऐसी भूमि या भवन या संकर्म, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कि विश्वविद्यालय ठीक तथा उचित समझे, क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना या दान के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या संकर्म का संनिर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना और उसे बनाए रखना;
- (उन्नीस) विश्वविद्यालय की जंगम या स्थावर समस्त सम्पत्तियों या उनके किसी भाग का, ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक तथा उचित समझे, तथा जो विश्वविद्यालय के हित तथा कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं, विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या उनका अन्यथा व्यवहन करना;
- (बीस) वचन-पत्रों (प्रॉमिसरी नोट), विनिमय-पत्रों, बैंकों या अन्य परक्राम्य लिखितों का आहरण तथा प्रतिगृहीत करना, लिखना और पृष्ठांकन करना, चट्टा (डिस्काउन्ट) देना और परक्रामण (नेगोशिएट) करना;
- (इक्कीस) जंगम या स्थावर सम्पत्ति के संबंध में, जिसमें विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सरकारी प्रतिभूतियां (गवर्नमेंट सिक्क्यूरिटीज) सम्मिलित हैं, हस्तांतरण पत्र, अन्तारण, पुनर्हस्तांतरण पत्र, बंधक, पट्टे तथा करार निष्पादित करना;
- (बाईस) विश्वविद्यालय की ओर से कोई लिखत निष्पादित करने या उसका कोई कामकाज करने या उपर्युक्त छण्ड (अठारह), (उन्नीस), (बीस) तथा (इक्कीस) के अधीन विश्वविद्यालय के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उचित समझे, नियुक्त करना;
- (तेईस) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकारियों के साथ अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई करार करना;

- (चौबीस) विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं भी सम्पत्तियों या आस्तियों के आधार पर या उन पर आधारित बन्धपत्रों, बन्धकों, वचन-पत्रों या अन्य बाध्यताओं अथवा प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, धन प्राप्त करना तथा उधार लेना, और धन प्राप्त करने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान विश्वविद्यालय की निधियों में से करना और उधार लिये गए किसी धन का प्रतिदाय तथा मोचन करना;
- (पच्चीस) विश्वविद्यालय की निधियां या विश्वविद्यालय को सौंपी गई निधि, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर तथा ऐसी रीति में, जो वह उचित समझे, विनिहित करना और किसी विनिधान का, समय-समय पर, अंतर्विनियम (ट्रान्सपोज) करना;
- (छब्बीस) ऐसे विनियम बनाना, जो समय-समय पर, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों तथा प्रबंध का विनियमन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं और उनमें परिवर्तन करना, उपान्तरण करना तथा उन्हें विखण्डित करना;
- (सत्ताईस) विद्या संबंधी, तकनीकी प्रशासनिक और अन्य कर्मचारीवृन्द के फायदे के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए, पेंशन, बीमा और उपदान जैसा कि वह उचित समझे, निधि गठित करना और विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारीवृन्द के फायदे के लिए ऐसा अनुदान देना, जैसा कि वह उचित समझे और ऐसी संथाओं, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और कन्वेंशंस के स्थापित किये जाने में सहायता करना और उनका समर्थन करना, जो कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी-वृन्द तथा छात्रों के फायदे के लिए आशंकित हो;
- (अट्ठाईस) समस्त ऐसे अन्य कार्य तथा चर्तें करना, जो विश्वविद्यालय अपने समस्त या उनमें से किसी उद्देश्य को प्राप्त करते या उनमें अभिवृद्धि करने के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे.

विश्वविद्यालय में  
अध्यापन

८. (१) विश्वविद्यालय की उपाधि, उपाधि-पत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के संबंध में समस्त मान्यता प्राप्त अध्यापन, साधारण परिषद् के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा, ऐसे पाठ्य-विवरण के अनुसार संचालित किया जाएगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए,

(२) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए,

स्पष्टीकरण.—उपधारा (१) में अध्यापक से अभिप्रेत है, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, उपाचार्य, तथा ऐसे अन्य व्यक्ति, जो विद्या परिषद् साथ ही कार्य परिषद् के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय या संस्था में, शिक्षण के लिए और गव्नेषणा कार्य का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हों.

विश्वविद्यालय का  
कुलाधिपति

९. (१) मध्यप्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा.

(२) कुलाधिपति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिसे वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, पुस्तकालयों तथा उपकरणों का और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी विभाग का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, अध्यापन तथा किए गए अन्य कार्यों का निरीक्षण करवाए और उसी रीति में विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त व्यवस्था से संबंधित किसी मामले के संबंध में जांच करवाए,

(३) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में ऐसा निरीक्षण या जांच कराए जाने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय इस हेतु हकदार होगा कि वह एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करे, जिसे वह अधिकार होगा कि वह ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहे तथा उसकी सुनवाई की जाए,



(४) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या ऐसी जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और कुलपति, कुलाधिपति के विचार और उसके साथ उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कुलाधिपति द्वारा दी गई सलाह, कार्य परिषद् को संसूचित करेगा।

(५) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को, ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संबंध में की जाना प्रस्तावित है या जो की गई है, संसूचित करेगी।

१०. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :—

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

- (एक) साधारण परिषद्;
- (दो) कार्य परिषद्;
- (तीन) विद्या परिषद्;
- (चार) वित्त समिति; और
- (पांच) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं.

११. (१) विश्वविद्यालय की एक साधारण परिषद् होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

साधारण परिषद्.

#### एक—पदेन सदस्य

- (एक) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री;
- (दो) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का भारसाधक मंत्री;
- (तीन) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री;
- (चार) विश्वविद्यालय का कुलपति;
- (पांच) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;
- (छः) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव;
- (सात) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

#### दो—नामनिर्देशित सदस्य

(आठ) मध्यप्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से संस्कृत अध्यापक/आचार्य के छह प्रतिनिधि, जो संस्कृत में चर्चा या विचार-विमर्श में भाग लेने में समर्थ हों;

(२) खण्ड (आठ) के अधीन सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

१२. (१) मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री, साधारण परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) होगा.

साधारण परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव.

(२) उच्च शिक्षा का भारसाधक मंत्री, साधारण परिषद् का उपाध्यक्ष (वाइस-चेयरमेन) होगा.

(३) विश्वविद्यालय का कुलपति, साधारण परिषद् का सचिव होगा.

१३. (१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबंधों के अधीन रहते हुए साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि चार वर्ष होगी.

साधारण परिषद् के सदस्यों की पदावधि.

(२) जहां साधारण परिषद् का कोई सदस्य उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण साधारण परिषद् का ऐसा सदस्य हो जाता है या वह नामनिर्देशित सदस्य है, जहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जब कि यथास्थिति उसका पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए या उसका नामनिर्देशन वापस ले लिया जाए या रद्द कर दिया जाए.



(३) साधारण परिषद् का कोई सदस्य उस दश में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विकृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्तर्वलित करने वाले किसी दण्डक अपराध के लिए सिद्धदोष उभरा दिया जाता है, या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह साधारण परिषद् के लगातार तीन सम्मेलनों में अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है.

(४) साधारण परिषद् का कोई सदस्य, अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा.

(५) साधारण परिषद् में कोई रिक्ति, उसे भरने के लिए हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया व्यक्ति केवल उस समय तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्देशित किया गया है यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो पद धारण करता.

साधारण परिषद् की शक्तियां.

१४. साधारण परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (एक) धारा ७ में अधिकारित विश्वविद्यालय की शक्तियों तथा कृत्यों का, सिवाय ऐसी शक्तियों के, जो विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को दी गई है प्रयोग करना;
- (दो) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिए उपाय करना;
- (तीन) वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्रकल्पन, वार्षिक लेखे और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना, जैसा कि ठीक समझा जाए;
- (चार) विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय की किसी समिति या उसकी उप-समिति या उसके किसी एक या अधिक सदस्यों या किसी कर्मचारी को अपनी सम्स्त शक्तियां या उनमें से कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना; और
- (पांच) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो विश्वविद्यालय के दक्ष कार्यकरण तथा प्रशासन के लिए वह आवश्यक समझे.

साधारण परिषद् के सम्मेलन.

१५. (१) साधारण परिषद् का वर्ष में कम से कम एक सम्मेलन होगा और उसके सम्मेलनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना दी जाएगी.

(२) अध्यक्ष, सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य, सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे.

(३) साधारण परिषद् के सदस्यों की कुलसंख्या के एक तिहाई सदस्यों से सम्मेलन की गणपूर्ति होगी.

(४) प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि साधारण परिषद् द्वारा अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत हैं तो अध्यक्ष या सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा.

(५) यदि साधारण परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाए तो अध्यक्ष, साधारण परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा. और की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि साधारण परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसकी सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना साधारण परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और कागज-पत्र, साधारण परिषद् के आगामी सम्मेलन के समक्ष उसकी पुष्टि के लिए रखे जाएंगे.

(६) पिछले वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण को एक रिपोर्ट और उसके साथ प्राप्तियों तथा ध्व्य का विवरण, सम्पक रूप से संपरोक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्रकल्पन, कुलपति द्वारा साधारण परिषद् के समक्ष उसके वार्षिक सम्मेलन में रखे जाएंगे।

१६. (१) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

कार्य परिषद्

(२) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध तथा नियंत्रण और उसकी आय, कार्य परिषद् में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों को नियंत्रित और प्रशासित करेगी।

१७. (१) कुलपति, कार्य परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) होगा।

कार्य परिषद् का अध्यक्ष तथा सदस्य

(२) कार्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(एक) कुलपति;

(दो) साधारण परिषद् के दो सदस्य, जो साधारण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशित, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;

(चार) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशित, जो उपसचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;

(पांच) विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक अध्यक्ष, जो ज्येष्ठता सह-योग्यता के अनुसार चक्रानुक्रम द्वारा होंगे;

(छः) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट छह व्यक्ति, जिनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रत्येक का एक व्यक्ति होगा तथा इन छह व्यक्तियों में से दो महिलाएं होंगी।

१८. (१) जहां कोई व्यक्ति उसके द्वारा धारित पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद् का सदस्य हो जाता है वहां उसकी सदस्यता तब समाप्त हो जाएगी, जबकि उसका ऐसा पद धारण करना या उसकी ऐसी नियुक्ति समाप्त हो जाए,

कार्य परिषद् की पदावधि

(२) कार्य परिषद् का कोई सदस्य उस दशा में सदस्य नहीं रह जाएगा, यदि वह पद त्याग देता है या विफृतचित्त या दिवालिया हो जाता है या वह नैतिक अधमता अन्वर्तित होने वाले किसी दार्ष्टिक अपराध के लिए सिद्धोष उहरा दिया जाता है या यदि कुलपति या संकाय के किसी सदस्य से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर लेता है या यदि वह कार्य परिषद् के लगातार तीन सम्मेलनों में, कार्य परिषद् के अध्यक्ष की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है या विश्वविद्यालय के हितों के विरुद्ध कार्य करता है।

(३) जब तक कि कार्य परिषद् को उनकी सदस्यता उपधाया (१) या (२) में यथा उपबंधित किए गए अनुसार पूर्व में ही समाप्त नहीं हो जाती है, कार्य परिषद् के सदस्य उस तारीख से, जिसको कि वे कार्य परिषद् के सदस्य हो जाते हैं, तीन वर्ष समाप्त हो जाने पर अपनी सदस्यता त्याग देंगे।

(४) कार्य परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद् का कोई सदस्य, कार्य परिषद् के अध्यक्ष को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र, जैसे ही कार्य परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है, प्रभावी हो जाएगा।

(५) कार्य परिषद् में कोई रिक्ति उसे भरने के लिए हकदार संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की यथास्थिति नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और रिक्ति को कालावधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जाएगा।



कार्य परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य.

१९. धारा १४ के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य परिषद् की निर्भरलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :—

- (एक) विद्या परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों को सृजित करना, समाप्त करना या वर्गीकृत करना और उनसे संलग्न अर्हताएं, परिलब्धियां तथा कर्तव्य अवधारित करना;
- (दो) समय-समय पर कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्ष, आचार्य और अध्यापन कर्मचारीवृन्द के अन्य सदस्य, जैसा कि आवश्यक हो, विनियमों द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना :

परन्तु—

- (क) किसी अधिसंख्य पद (सुपरन्यूमरी पोस्ट) पर, या
- (ख) उच्च विद्या संबंधी भित्तिशुद्धता, विख्यात तथा कुशलता प्राप्त व्यक्ति की आचार्य के पद पर; नियुक्ति करने के लिये कोई चयन समिति गठित करना आवश्यक नहीं होगा;
- (तीन) प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पद सृजित करना, और ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताएं तथा उनकी परिलब्धियां अवधारित करना;
- (चार) विश्वविद्यालय के धित, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज और अन्य सम्स्त प्रशासनिक कार्यकलापों की व्यवस्था करना और विनियमित करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकार्य नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;
- (पांच) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण प्रतिगृहीत करना;
- (छह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उन्हें रद्द करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अधिकारी नियुक्त करना, जैसा कि वह उचित समझे;
- (सात) विश्वविद्यालय का कार्य क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर तथा उपकरण और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;
- (आठ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों की, जो कि किसी कारण से व्यक्ति अनुभव करते हैं, उनको व्य्थाएं ग्रहण करना, उन्हें न्याय निर्णित करना और उन्हें दूर करना;
- (नौ) विद्या परिषद् से परामर्श करके परीक्षक तथा अनुसोमक (मॉडरेटर) नियुक्त करना और, यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;
- (दस) विश्वविद्यालय के लिये सामान्य मुद्रा का चयन करना और उस मुद्रा की अभिरक्षा की व्यवस्था करना;
- (ग्यारह) अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को, सिवाय विनियम बनाने की शक्ति के, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना, और
- (बारह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो उसे इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त की जाएं या उस पर अधिरोपित किये जाएं.



२०. (१) कार्य परिषद् का सम्मिलन चार भास में कम से कम एक बार होगा,

कार्य परिषद् का सम्मिलन

(२) कार्य परिषद् का अध्यक्ष कार्य परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये अपने में से एक व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे,

(३) कार्य परिषद् के किसी सम्मिलन में उसके चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी,

(४) कार्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा और यदि कार्य परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत है तो यथास्थिति कार्य परिषद् के अध्यक्ष को या उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का उसके अतिरिक्त एक निर्णायक मत होगा,

(५) यदि कार्य परिषद् द्वारा अत्यावश्यक कार्रवाई आवश्यक हो तो कुलपति कार्य परिषद् के सदस्यों में कागज-पत्र के प्रचालन द्वारा कार्रवार का संव्यवहार किये जाने की अनुमति दे सकेगा तथा की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई उस समय तक नहीं की जाएगी जब तक कार्य परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा उसे सहमति न दी जाए तथा इस प्रकार की गई कार्रवाई की सूचना कार्य परिषद् के सभी सदस्यों को तत्काल दी जाएगी और कागज-पत्र कार्य परिषद् की आगामी बैठक के समाप्त पुष्टिकरण के लिये रखे जायेंगे,

२१. (१) इस अधिनियम के और इस संबंध में बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ, ऐसे प्रयोजनों के लिये तथा ऐसी शक्तियों सहित, जैसा कार्य परिषद् उचित समझे, विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य का निर्वहन करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जांच करने, उस पर रिपोर्ट देने या सलाह देने के लिये गठित या नियुक्त कर सकेगी,

स्थायी समितियों का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

(२) कार्य परिषद् समितियों का गठन या नियुक्ति करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि प्राचार्यों, अध्यापकों, संस्कृत के विद्वान व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और / या किसी विषय के अन्य विद्वान व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी दो से अधिक समितियों के लिये सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा,

(३) कार्य परिषद् अन्य ऐसी समित या उप समितियों का भी गठन कर सकेगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए,

(४) कार्य परिषद् किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति के लिये ऐसे व्यक्ति सहयोजित कर सकेगी, जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद् के सम्मिलनों में उपस्थित रहने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी,

२२. विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की विद्या संबंधी निकाय होगी और इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसे विश्वविद्यालय के शिक्षण, शिक्षा और परोक्ष मानकों पर नियंत्रण रखने तथा सामान्य विनियमन करने की शक्ति होगी और वह इन मानकों को बनाए रखने के लिये भी उत्तरदायी होगी और वह ऐसे अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा प्रदत्त की जाएँ या उस पर अधिरोपित किए जाएँ और उसे यह अधिकार होगा कि वह विद्या संबंधी समस्त मामलों पर कार्य परिषद् को सलाह दे,

विद्या परिषद्

२३. (१) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

विद्या परिषद् की सदस्यता

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) तीन व्यक्ति, जो विख्यात शिक्षाविदों या विख्यात साहित्यिक व्यक्तियों (मैन ऑफ लेटर्स) या विद्वान प्रोफेशनल या प्रख्यात आम व्यक्तियों में से हों, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं कार्य परिषद् के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष, जो तीन से अधिक न हों, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(चार) विभागाध्यक्षों से भिन्न दो आचार्य यदि कोई हों, और

(पांच) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द का एक सदस्य, जो सह-आचार्य और सहायक आचार्यों का प्रतिनिधित्व करते हों :

परन्तु विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उपरोक्त खण्ड (दो) के अधीन नामनिर्दिष्ट किये जाने का पात्र नहीं होगा.

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी :

परन्तु प्रथम विद्या परिषद् की अवधि पांच वर्ष होगी.

विद्या परिषद् की शक्तियां तथा उसके कर्तव्य.

२४. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए विद्या परिषद् को उसमें विनिर्दिष्ट की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(एक) ऐसे किसी विषय पर, जो साधारण परिषद् या कार्य परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किया जाए, रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन पदों के सृजन, समाप्ति या वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलम्बियों तथा कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के गठन के लिये स्कीमें बनाना तथा उनको उपान्तरित करना या पुनरोचित करना और ऐसे संकायों को उनके संबंधित विषय रीढ़ना और किसी संकाय को समाप्त या उपविभाजित करने या एक संकाय को दूसरे संकाय के साथ संयोजित करने की समीचीनता के संबंध में भी कार्य परिषद् को रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण तथा परीक्षा के लिये विनियमों के माध्यम से व्यवस्था करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के भीतर गवेषणा को प्रोत्साहित करना और ऐसी गवेषणा पर, समय-समय पर, रिपोर्ट दिये जाने की अपेक्षा करना;

(छह) संकायों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर विचार करना;

(सात) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समितियां नियुक्त करना;

(आठ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के उपाधि-पत्रों तथा उपाधियों को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के उपाधि-पत्रों तथा उपाधियों के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(नौ) साधारण परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्याधीन रहते हुए, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति तथा अन्य पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिताओं का समय, ढंग तथा शर्तें नियत करना तथा उन्हें प्रदान करना;



- (दस) परीक्षकों की नियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो उनके हटाने और उनकी फौस, परिलब्धियां तथा यात्रा और अन्य व्यय निवृत्त करने के बारे में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना;
- (ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये सधितियां या अधिकारो नियुक्त करना और उपाधियों, सम्मानों, उपाधि-पत्रों, पदवी (टाइटल्स) और सम्मान के प्रतीकों को प्रदान किये जाने के संबंध में सिफारिशें करना;
- (बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार देना और अन्य अवार्ड (पुरस्कार) अध्यादेशों या ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार देना, जो ऐसे अवार्ड (पुरस्कार) से संबद्ध की जाए;
- (तेरह) विहित की गई या सिफारिश की गई पाठ्य-पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित किए गये अध्ययन पाठ्यक्रमों का पाठ्य-विवरण प्रकाशित करना;
- (चौदह) ऐसे प्ररूप तथा रजिस्टर तैयार करना जो विनियमों द्वारा, समय-समय पर, विहित किये जाएं, और
- (पन्द्रह) विद्या संबंधी मामलों के संबंध में समस्त ऐसे कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनिियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के उचित कार्यान्वयन के लिये आवश्यक है.

२५ (१) विद्या परिषद्, उतनी बार, जितनी कि आवश्यक है, सम्मिलन करेगी किन्तु किसी एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान कम से कम दो बार सम्मिलन करेगी;

विद्या परिषद् के सम्मिलन.

(२) विद्या परिषद् का अध्यक्ष (चेयरमेन) विद्या परिषद् के सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे.

(३) विद्या परिषद् के सम्मिलन के लिये विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से गणगूर्ति होगी.

(४) विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, एक मत देने का अधिकार होगा और यदि विद्या परिषद् अवधारित किए जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत है तो विद्या परिषद् के अध्यक्ष को या यथास्थिति सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को, उसके अतिरिक्त, एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा.

(५) यदि विद्या परिषद् द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाना आवश्यक हो जाता है तो कुलपति, विद्या परिषद् के सदस्यों में कागजपत्रों के परिचालन द्वारा कामकाज का संचालन किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा और की जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि इस पर विद्या परिषद् के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति नहीं दे दी जाती है और इस प्रकार की गई कार्रवाई की संसूचना विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को तुरन्त दी जाएगी और संबंधित कागज-पत्र विद्या परिषद् के आगामी सम्मिलन में उसकी पुष्टि के लिये रखे जाएंगे.

२६. (१) एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

वित्त समिति.

(एक) कुलपति,

(दो) तीन सदस्य, जो कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से नाम निर्देशित किए जाएंगे,

(तीन) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के एक-एक अधिकारी (जो उप सचिव की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के न हों) जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे,



(२) वित्त समिति की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :-

- (एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और वित्तीय मापदंडों में कार्य परिषद् को सिफारिशें करना,
- (दो) नवीन व्ययों के लिये समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना,
- (तीन) लेखाओं के नियतकालिक विवरणों पर विचार करना और विश्वविद्यालय को वित्तीय स्थिति का, समय-समय पर, पुनर्विलोकन करना और पुनर्विनियोजन विवरणों तथा संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और कार्य परिषद् को सिफारिश करना,
- (चार) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय विषय पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा निर्देश किया जाने पर अपने विचार प्रस्तुत करना और कार्य परिषद् को सिफारिशें करना,

(३) वित्त समिति छह मास में कम से कम एक बार अपना सम्मेलन करेगी और वित्त समिति के तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

(४) कुलपति, वित्त समिति के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये निर्वाचित करेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी

२७. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (एक) कुलपति,
- (दो) विभागध्यक्ष,
- (तीन) कुलसचिव, और
- (चार) ऐसे अधिकारी, जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए.

कुलपति

२८. (१) कुलपति की नियुक्ति उपधारा (२) या उपधारा (६) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किये गये कम से कम तीन व्यक्तियों की तालिका (पैनल) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण नियुक्ति-प्रतिगृहीत करने के लिये रजामंद न हों, तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिश मंगा सकेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात्, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा.

(२) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

- (एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया गया एक व्यक्ति ;
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति ;
- (तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया एक व्यक्ति.

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन समिति गठित करने के लिये कुलाधिपति, कुलपति की अवधि का अवसान होने के छह मास पूर्व, कार्य परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्देशितियों को चुनने के लिये अपेक्षित करेगा और यदि उनमें से कोई एक या दोनों इस बारे में कुलाधिपति की संसूचना प्राप्त होने के एक मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो कुलाधिपति, यथास्थिति, किसी एक या दोनों व्यक्तियों को आगे नामनिर्देशित कर सकेगा.

(४) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त हो, उपधारा (२) के अधीन समिति के लिये निर्वाचित या नामनिर्देशित नहीं किया जायेगा.

(५) समिति अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह के भीतर या चार सप्ताह से अनधिक ऐसे और समय के भीतर, जो कि कुलाधिपति द्वारा बढ़ाया जाय, तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी.

(६) यदि किसी कारण से वह समिति जो उपधारा (२) के अधीन गठित की गई हो, उपधारा (५) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल) प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति गठित करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संसक्त न हों, जिनमें से एक को अध्यक्ष के रूप में अभिहित किया जायेगा और इस प्रकार गठित की गई समिति, अपने गठन की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लम्बुतर कालावधि, जैसे कि विनिर्दिष्ट की जाय, के भीतर तीन व्यक्तियों की तालिका (पेनल) प्रस्तुत करेगी.

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन गठित समिति, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर तालिका (पेनल) प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.

(८) कुलपति की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(९) कुलपति, चार वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, जो साधारण परिषद् द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर दिए जाने पर केवल एक बार नवीकरणीय होगी और उसकी अवधि के समाप्त हो जाने पर वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है.

(१०) कुलपति—

(एक) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है,

(दो) को विश्वविद्यालय में उचित रूप से अनुशासन बनाए रखने संबंधी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

(११) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें यह अपेक्षित है कि तुरन्त कार्रवाई की जाए तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे, और उसकी रिपोर्ट कार्य परिषद् के आगामी सम्मेलन में उसकी पुष्टि हेतु रखेगा, जो साधारण स्थिति में उस विषय में कार्रवाई करती.

(१२) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी तथा विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दोषांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और उन व्यक्तियों को उपाधि प्रदान करेगा, जो प्राप्त करने के हकदार हैं.

(१३) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य निबंधन रखेगा और विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा.

(१४) कुलपति, किसी आपात स्थिति में, कोई ऐसी कार्यवाही जो उसकी राय में तुरन्त करना आवश्यक है कर सकेगा और ऐसे मामलों में वह इसके यथासंभव शीघ्र पश्चात् उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को करेगा, जिसने साधारणतः उस मामले में कार्रवाई की होगी.

(१५) कुलपति, विश्वविद्यालय के उचित प्रशासन के लिए और अध्यापन, गवेषणा और विस्तारी शिक्षा के गहन समन्वयन तथा एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा.

(१६) यदि अभ्यावेदन किया जाने पर या अन्यथा और ऐसी जांच, जो कि आवश्यक समझी जाए, करने के पश्चात् किसी भी समय कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति ने—

(एक) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये किसी कर्तव्य का पालन करने में व्यतिक्रम किया है; या

(दो) विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कार्य किया है; या



(तीन) यह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ है,

तो कुलाधिपति, इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलाधिपति की पदावधि का अवसान नहीं हुआ है, एक लिखित आदेश द्वारा, जिसमें कारणों का विवरण रहेगा, कुलपति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि यह ऐसी तारीख से, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अपना पद त्याग दे.

(१७) उपधारा (१६) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन आधारों की विशिष्टियां, जिन पर कि ऐसी कार्रवाई का किया जाना प्रस्थापित है, कुलपति को संसूचित न कर दी गई हों तथा उसे प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का सुकियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(१८) उपधारा (१६) के अधीन के आदेश में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से, वह समझा जाएगा कि कुलपति ने पद त्याग दिया है और कुलपति का पद रिक्त हो जाएगा.

(१९) कुलपति का पद किन्हीं भी कारणों से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित हो, प्रो-वाइस चांसलर और यदि कोई प्रो-वाइस चांसलर नियुक्त नहीं किया गया है या यदि प्रो-वाइस चांसलर उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नामनिर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि नया कुलपति, जो उपधारा (१) या उपधारा (७) के अधीन नियुक्त किया गया है, ऐसी रिक्ति भरने के लिये अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु इस उपधारा में अनुध्यात व्यवस्था छह मास से अधिक कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी.

प्रो-वाइस चांसलर.

२९. कुलपति संकायाध्यक्षों में से एक को प्रो-वाइस चांसलर के रूप में नाम निर्देशित करेगा और वह कुलपति के प्रसन्न पर्यन्त पद धारित करेगा तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे कुलपति द्वारा समनुदेशित किए जाएं.

विभागाध्यक्ष.

३०. (१) विश्वविद्यालय के विभागों में से प्रत्येक विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा.

(२) विभागाध्यक्षों की शक्तियां, उनके कृत्य, नियुक्तियां और सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

कुल सचिव.

३१. (१) कुल सचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और कुलसचिव की पदावधि तथा सेवा-शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जाएं.

(२) कुलसचिव, कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, विद्युत समिति तथा संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा.

(३) कुलसचिव—

(एक) कार्य परिषद् तथा कुलपति के समस्त निर्देशों और आदेशों का पालन करेगा,

(दो) विश्वविद्यालय के छात्रों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का, जो कि कार्य परिषद् उसके सुपुर्द करें, अभिरक्षक होगा,

(तीन) किसी आपात स्थिति में, ऐसी दशा में, जबकि न तो कुलपति और न सम्यक् रूपेण प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो तुरन्त कार्य परिषद् का सम्मेलन बुलाएगा और विश्वविद्यालय का कार्य चलाने हेतु अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करेगा,

(चार) अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति सीधे ही उत्तरदायी होगा,

(पांच) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध नादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों को सत्यापित करेगा या इस प्रयोजन के लिये प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्त करेगा,

(छह) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, समय-समय पर उसे सौंपे जाएं,

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का स्थायी अभिलेख संधारित करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, प्राप्त की गई श्रेणी, प्रदान की गई उपाधि, जीते गए पारितोषिक या अन्य विशिष्टताएं सम्मान और छात्रों की शैक्षणिक प्रगति से संबंधित अन्य मर्दे सम्मिलित हैं.

(४) कुल सचिव का पद किसी कारण से रिक्त रहने की दशा में कुलपति, विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को कुल सचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों, तथा कर्तव्यों का, जैसा कि कुलपति उचित समझे, प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

३२. (१) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय में आचार्यों, सह आचार्यों तथा अन्य अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए कार्य परिषद् को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति गठित करेगी। चयन समिति।

(२) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,—

(एक) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष बशर्ते कि वह उस पद के स्तर से, जिस पद के लिए चयन किया जाना है, निम्न पद धारण नहीं करता हो;

(तीन) आचार्यों, सह आचार्यों तथा सहायक आचार्यों का चयन करने के लिये तीन विशेषज्ञ जो विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तथा कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किए गए नामों के पैनाल में से कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए गए हों।

(३) चयन समिति का सम्मेलन, जब कभी आवश्यक हो, कुलपति द्वारा बुलाया जाएगा और तीन सदस्यों से इसकी गणपूर्ति होगी।

३३. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों और विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए परिणियमों में उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :— परिणियम।

(क) ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य, जैसा कि समय-समय पर उसके गठन के लिये आवश्यक समझा जाए,

(ख) छण्ड (क) में निर्दिष्ट निकायों के सदस्यों के निर्वाचन या नियुक्ति की रीति और उनकी पदावधि, जिसमें प्रथम सदस्यों के पद में निरन्तरता तथा सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन निकायों से संबंधित अन्य समस्त विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो, सम्मिलित हैं;

(ग) कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें और उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) प्रो-वाइस चांसलर की पदावधि, सेवा की शर्तें तथा परिलब्धियों तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य;

(ङ) विश्वविद्यालय के कुल सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां तथा कर्तव्य एवं उनकी सेवा की शर्तें;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का गठन तथा बीमा स्कीम की स्थापना, तथा उपदान (ग्रेजुटी) और अन्य प्रसुधियाओं के लिए उपबंध करना;

(छ) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन;

(ज) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, उपाधि पत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी सम्मानों का वापस लिया जाना;

(ञ) विश्वविद्यालय द्वारा संचारित संकल्प, हॉल, महाविद्यालय, अध्यापन विभाग, अध्ययन केन्द्र तथा संस्थाओं की स्थापना तथा समाप्ति;

(ट) वे शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालय तथा अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकें;



- (उ) उस स्वायत्तता का विस्तार, जो विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग, अध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय के पास हैं, और वे मामले जिनके संबंध में ऐसी स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सके;
- (ड) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में आचार्यों, उपाचार्यों (रीडर), व्याख्याताओं तथा अन्य अध्यापकों की अर्हताएं;
- (ढ) विन्यासों का प्रकाशन तथा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां;
- (ण) विश्वविद्यालय द्वारा संदत्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परिलब्धियां तथा निबंधन और सेवा शर्तें एवं विश्वविद्यालय के अध्यापकों की परिलब्धियां तथा वेतनमान;
- (त) विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता अवधारित करने का तरीका;
- (थ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का संधारण;
- (द) प्रकाशन तथा हिन्दी में अनुवाद के लिए न्यूरो की स्थापना तथा गठन, और
- (ध) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किए जाने हैं।

परिनियम का बनाया जाना.

३४. (१) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम कार्यपरिषद् द्वारा बनाए जाएंगे।

(२) साधारण परिषद्, किन्हीं परिनियमों को समय-समय पर बना सकेगी, संशोधित कर सकेगी या उनका निरसन कर सकेगी।

अध्यादेश.

३५. इस अधि. यम तथा बनाए गए परिनियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, अध्यादेश में सम्मिलित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :-

- (क) महाविद्यालयों, अध्यापन विभागों, अध्ययन केन्द्रों तथा प्रयोग शालाओं में छात्रों का प्रवेश तथा फीस का उद्ग्रहण और उनका नामांकन;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाण-पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं तथा उनके लिए अर्हताएं;
- (ग) विश्वविद्यालय की उपाधियों, उपाधिपत्रों तथा प्रमाण-पत्रों के लिए ली जाने वाली परीक्षाएं;
- (घ) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश और उपाधियों तथा उपाधिपत्रों के लिए फीस का उद्ग्रहण की जाने वाली परीक्षाएं;
- (ङ) उपाधियों, उपाधिपत्रों, प्रमाणपत्रों तथा अन्य विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं के लिये परीक्षाओं में उपस्थित होने हेतु शर्तों का अधिकारित किया जाना;
- (च) परीक्षाओं का संचालन;
- (छ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, छात्र-सहायता-वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों आदि को प्रदान किए जाने की शर्तें;
- (ज) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;
- (झ) अध्यापन विभागों, महाविद्यालयों, अध्ययन केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास की शर्तें तथा हॉल में निवास के लिये फीस का उद्ग्रहण;
- (ञ) छात्र निवासों की मान्यता तथा निरीक्षण;

- (2) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन तथा अध्यापन के संबंध में किए जा सकने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, तथा उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम का विहित किया जाना;
- (3) नैतिकता संबंधी शिक्षण दिया जाना;
- (4) विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिष्ठापित या संचारित महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का प्रबंध;
- (5) महाविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं का, जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए गए हों, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण;
- (6) विश्वविद्यालय के अध्यापकों के, जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता हो, कर्तव्य, अर्हताएं तथा नियुक्ति की शर्तें जिनके अन्तर्गत उनका वेतनमान सम्मिलित है;
- (7) विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय के साथ संयुक्त रूप से नियुक्त किए जाने वाले बोर्ड तथा समितियों के कर्तव्य तथा शक्तियां;
- (8) विद्यार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन तथा प्रभावशाली किए जाने वाले नियम;
- (9) संबद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा रखा जाने वाला विद्यार्थियों का रजिस्टर;
- (10) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;
- (11) वेदों, जिन पर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों, समितियों तथा अन्य निकायों के सदस्यों को और विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारीवृन्द के यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुज्ञेय होगा;
- (12) छात्र संघ का गठन तथा उसका ढंग; और
- (13) ऐसे समस्त अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा अध्यादेशों द्वारा भी उपबंधित किए जाने हैं या उपबंधित किए जाएं :

परन्तु मद (6) के अधीन अध्यादेश विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन के भुगतान अध्याधीन होगा, जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यादेश द्वारा कार्य परिषद् द्वारा नियत वेतनमान के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा देय होगा।

३६. (१) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे।

अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे।

(२) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया अध्यादेश उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसकी वह साधारण परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाए।

३७. (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए कार्य परिषद् को उसमें विनिहित की गई अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिये उपबन्ध करने हेतु विनियम बनाने की शक्ति भी होगी :

विनियम।

परन्तु कार्य परिषद् ऐसा कोई विनियमन जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की हैसियत, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करता हो, तब तक नहीं बनाएगी जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित में राय अभिव्यक्त करने का एक अवसर नहीं दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त की गई किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद् निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों पर प्रभाव डालने वाला कोई विनियम, विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के बिना नहीं बनाएगी और न ही उसे संशोधित या निरस्त करेगी, अर्थात् :-

(एक) विद्या परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य;



- (दो) विश्वविद्यालय के संबंध में अध्यापन पाठ्यक्रम तथा विद्या संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार;
- (तीन) संकायों, विभागों, छात्र निवासों तथा संस्थाओं की स्थापना और उनका समाप्त किया जाना;
- (चार) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें तथा ढंग, और परीक्षाओं या अन्य अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन तथा उसके मानक;
- (पांच) छात्रों के नामांकन तथा प्रवेश का ढंग;
- (छह) अन्य परीक्षाओं को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन तथा स्तर के समतुल्य मान्यता प्रदान करना.

(२) विद्या परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह उपधारा (१) के खण्ड (एक) से (छह) तक में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों पर और उससे संशक्त या आनुबंधिक मामलों पर विनियम प्रस्तावित करें,

(३) जहां विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी विनियम का प्रारूप कार्य परिषद् ने नामंजूर कर दिया है वहां विद्या परिषद् कुलाधिपति को अपील कर सकेगी और कुलाधिपति आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि प्रस्तावित विनियम साधारण परिषद् के आगामी सम्मेलन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये रखा जाए और साधारण परिषद् के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहने तक यह विनियम ऐसी तारीख से, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रभावो होगा :

परन्तु ऐसे विनियम को यदि साधारण परिषद् के ऐसे सम्मेलन में अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वह प्रभावो नहीं रह जायेंगे।

(४) कार्यपरिषद् द्वारा बनाए गए समस्त विनियम साधारण परिषद् के समक्ष उसके आगामी सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाएंगे और साधारण परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह कार्य परिषद् द्वारा बनाए गए किसी विनियम को संशोधित या रद्द कर दे :

परन्तु ऐसे विनियम जहां तक कि वे धारा ३९ में प्रणित किए गए अनुसार उपदान तथा पेंशन से संबंधित हैं, साधारण परिषद् द्वारा अनुमोदन के परचाह ही प्रवृत्त होंगे।

पुनर्विलोकन आयोग की नियुक्ति

३८. (१) कुलाधिपति, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने और उस पर अपनी सिफारिशें करने के लिए एक आयोग गठित करेगा,

(२) आयोग में कम से कम तीन प्रख्यात शिक्षाविद् होंगे जिसमें से एक ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा जो राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा,

(३) सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि कुलाधिपति अवधारित करे,

(४) आयोग, ऐसी जांच करने के परचाह, जैसी कि वह उचित समझे, अपनी सिफारिश कुलाधिपति को करेगा,

(५) कुलाधिपति, ऐसी सिफारिशों पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

उपदान तथा पेंशन

३९. विश्वविद्यालय के समस्त स्थाई कर्मचारी ऐसे परिनियम के अनुसार, जो उस संबंध में बनाए जाएं, पेंशन तथा उपदान के फायदों के लिए हकदार होंगे।

विश्वविद्यालय की निधि

४०. (१) विश्वविद्यालय के लिए एक विश्वविद्यालय निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(एक) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अधिदाय या अनुदान;

- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अभिदाय या अनुदान;
- (तीन) कोई वसोयत, दान, विन्यास (एण्डोउमेण्ट्स) या अन्य अनुदान जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किए गए हैं;
- (चार) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और
- (पांच) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकमें,

(२) उक्त निधि में की रकम, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का २) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखी जाएगी या ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जा सकेगी जो कि भारतीय न्यास अधिनियम, १८८२ (१८८२ का २) द्वारा प्राधिकृत की गई है जैसा कार्य परिषद् द्वारा विनिरिक्त किया जाय.

(३) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा सकेगी जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय.

४१. (१) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जाएंगे,

वार्षिक लेखे तथा  
संपरीक्षा.

(२) विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों द्वारा एक वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी :

परन्तु जब कभी आवश्यक समझ जाए, राज्य सरकार को यह निर्देश देने की शक्ति होगी कि विश्वविद्यालय के और उसके साथ ऐसी संस्थाओं के, जिनका प्रबन्ध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा, जिन्हें यह विनिर्दिष्ट करे, कराई जाए.

(३) लेखाओं की और उसके साथ, संपरीक्षा रिपोर्ट को एक-एक प्रति साधारण परिषद् के समक्ष रखी जाएगी और राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी तथा उत्पत्तियां यह कार्य परिषद् द्वारा प्रकाशित की जाएगी,

(४) वार्षिक लेखाओं पर साधारण परिषद् द्वारा अपने वार्षिक सम्मेलन में विचार किया जायेगा, साधारण परिषद् उनके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी. कार्य परिषद्, साधारण परिषद् द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्रवाई करेगी जैसा कि वह उचित समझे. कार्य परिषद् उसके द्वारा की गई समस्त कार्रवाई या कार्रवाई न किए जाने के कारणों की जानकारी साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मेलन में देगी.

४२. (१) कार्य परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, आगामी वर्ष के लिये वित्तीय प्रकल्प तैयार करेगी और उन्हें साधारण परिषद् के समक्ष रखेगी; - वित्तीय प्रकल्प

(२) कार्य परिषद् उस दता में जहां ऐसी रकम से, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है, अधिक व्यय किया जाना है या अत्यावश्यकता की दशा में, व्यय किया जाता है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और विनियमों में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए व्यय कर सकेगी और जहां ऐसे अधिक व्यय के संबंध में बजट में कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं वहां एक रिपोर्ट साधारण परिषद् को उसके आगामी सम्मेलन में की जाएगी.

४३. (१) कार्य परिषद्, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विहित है या जिसे साधारण परिषद्, संकल्प पारित करके विनिर्दिष्ट करे और कार्य परिषद् उसके अनुसार कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई साधारण परिषद् को संसूचित की जाएगी. वार्षिक रिपोर्ट.

(२) वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ साधारण परिषद् के संकल्प की प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी और राज्य सरकार उसे यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.



- संविदाओं का निष्पादन. ४४. प्रबन्ध तथा प्रशासन से संबंधित समस्त संविदाएं, जब संविदा का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक हो तो वह कुलाधिपति द्वारा और जब उसका मूल्य दस लाख रुपये से कम है तो कुल सचिव द्वारा उसकी मुद्रा तथा हस्ताक्षर के अधीन निष्पादित की जाएगी.
- संस्कृत में उपाधि, उपाधि-पत्र आदि का प्रदान किया जाना. ४५. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय को यह शक्ति होगी कि इस अधिनियम के अधीन संस्कृत में उपाधि, उपाधिपत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताएं और पदवियां (टाइटिल्स) प्रदान करे.
- सम्मानिक उपाधियां. ४६. यदि विद्या परिषद् के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह विशिष्ट उपलब्धियों तथा हैसियत के कारण उनको राज्य में कोई सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी (टाइटिल्स) प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है, और ऐसी सम्मानिक उपाधि, विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवियां (टाइटिल्स) उसे प्रदान की जाए तो साधारण परिषद्, संकल्प द्वारा यह विनिरचय कर सकेगी कि सिफारिश किए गए व्यक्ति को ऐसी सम्मानिक उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्टता और पदवी प्रदान की जाए.
- उपाधियां उपाधि-पत्र का प्रत्याहरण. ४७. (१) साधारण परिषद्, कार्य परिषद् को सिफारिश पर, साधारण परिषद् के सम्मेलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई या दी गई किसी विशिष्टता, उपाधि, उपाधिपत्र या विशेषाधिकार को उस दशा में प्रत्याहृत कर सकेगी, जबकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए सिद्धादोष उठराया गया है, जिसमें साधारण परिषद् की राय में नैतिक अधमता अन्तर्विलित है या कि वह भोर अवचार का दोषी रहा है.
- (२) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उस व्यक्ति को को जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अहसद प्रदान नहीं कर दिया गया है.
- (३) साधारण परिषद् द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी.
- (४) साधारण परिषद् द्वारा किए गए विनिरचय से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की प्रतिलिपि की तारीख से तीस दिन के भीतर कुलाधिपति को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील में कुलाधिपति का विनिरचय अंतिम होगा.
- सम्पत्ति का अन्तगण. ४८. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रसंग के लिए, विश्वविद्यालय को भवन भूमि या कोई अन्य संपत्ति चाहे वह जंगल हो या स्थावर, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उपयोग और प्रबंध किये जाने के लिए ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, अंतरित कर सकेगी.
- शिक्षकों आदि के कारण प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधान. ४९. (१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी, समिति या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधान नहीं होगी कि—
- (क) उसमें कोई शिक्षक या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
- (ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
- (ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.
- (२) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई संकल्प इस कारण अविधान नहीं समझा जाएगा कि किसी सदस्य पर सूचना की तामील में कोई अनियमितता हुई है बशर्ते, ऐसे प्राधिकारी या निकाय की कार्यवाहियां ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं हुई हों.
- प्रबंध पर कठिनाइयों का दूर किया जाना. ५०. यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रथम सम्मेलन के संबंध में या इस अधिनियम तथा विनियमों के उपबंधों को प्रथम बार प्रभावी बनाने में अन्याया कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो कुलाधिपति किसी भी समय, इसके पूर्व कि विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों का गठन किया जाए, आदेश द्वारा



कोई नियुक्ति कर सकेगा या कोई ऐसी बात, जो जहां तक हो सके, वह इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों से सुसंगत हो, कर सकेगा जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, और ऐसे किसी आदेश का यह प्रभाव होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्रवाई, इस अधिनियम तथा परिनिियम, अध्यादेश तथा विनियमों में उपबंधित की गई रीति में की गई है:

परन्तु कुलाधिपति ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व कुलपति की ओर विश्वविद्यालय के ऐसे समुचित प्राधिकारी की, जो कि गठित किया जा चुका हो, राय सुनिश्चित करेगा तथा उस पर विचार करेगा।

५१. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलपति, साधारण परिषद् के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और विधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं भी कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिये ऐसे समय तक ऐसी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग या किन्हीं भी कर्तव्यों का पालन कर सकेगा, जिनका इस अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोग या पालन किया जाना है, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा उपबंधित किये गये अनुसार ऐसा प्राधिकारी अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

अस्थायी उपबन्ध

५२. (१) यदि राज्य सरकार का किसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रशासन विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किए बिना, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि ऐसा करना विश्वविद्यालय के हित में समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा उसमें वर्णित किए जाते वाले कारणों से यह निर्देश दे सकेगी कि उपधारा (२), (३), (४) और (५) के उपबंध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से (जो इसमें इसके पश्चात् इस धारा में नियत तारीख के रूप में निर्दिष्ट है) विश्वविद्यालय को लागू होंगे।

कतिपय परिस्थितियों में विश्वविद्यालय के बेहतर प्रशासन के लिए विशेष उपबंध

(३) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई अधिसूचना (जो इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना के नाम से निर्दिष्ट है), नियत तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये प्रवर्तन में रहेगी और राज्य सरकार समय-समय पर, उस कालावधि में ऐसे और कालावधि को वृद्धि, जैसा वह उचित समझे, इस प्रकार कर सकेगी कि अधिसूचना के प्रवर्तित रहने की कुल कालावधि तीन वर्षों से अधिक न हो जाए।

(३) नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व पद धारित करने वाला कुलपति इस बात के होते हुए भी कि उसकी पदावधि का अवसान नहीं हुआ है नियत तारीख से अपना पद रिक्त करेगा और कुलाधिपति, अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ कुलपति को नियुक्त करेगा जो अधिसूचना के प्रवर्तन में रहने की कालावधि के दौरान पद धारण करेगा :

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से कुलपति की नियुक्ति करेगा और वैसे ही रीति में कुलाधिपति द्वारा हटाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि कुलपति, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने पर भी उसके पश्चात् तब तक पद धारण किये रह सकेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(४) नियत तारीख से निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित होंगे :-

(एक) प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् के सदस्य के रूप में पद धारण किये हुए हो, उस पद पर नहीं रह जाएगा;

(दो) जब तक यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का पुनर्गठन न हो जाये तब तक उपधारा (३) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपति, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उन कर्तव्यों का पालन करेगा,



जो कि कार्य परिषद् या विद्या परिषद् को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की गई हों या उन पर अधिरोपित किये गये हों :

परन्तु कुलाधिपति यदि वह वैसा करना आवश्यक समझे, इस प्रकार नियुक्त किये गये कुलपति को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये एक ऐसी समिति की नियुक्ति कर सकेगा, जिसमें कि एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ से तथा एक वित्त विशेषज्ञ होंगे.

- (4) अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व या उसके अव्यवहित पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, कुलपति अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद् का गठन करने के लिये कार्यवाही करेगा और इस प्रकार गठित की गई कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने की तारीख के अव्यवहित पश्चात् आने वाली तारीख को या उस तारीख को जिसको कि संबंधित निकायों का इस प्रकार गठन हो जाय, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ती हो, कार्य करना प्रारंभ कर देगी :

परन्तु यदि कार्य परिषद् तथा विद्या परिषद्, अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि का अवसान होने के पूर्व गठित न की जाए तो कुलपति, ऐसा अवसान हो जाने पर, इन प्राधिकारियों में से प्रत्येक प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के अध्वधीन रहते हुए उस समय तक करेगा, जब तक कि यथास्थिति कार्य परिषद् या विद्या परिषद् का इस प्रकार गठन न हो जाए.

#### संरक्षण

५३. विश्वविद्यालय के कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के संबंध में, जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है या जिसका इस प्रकार सद्भावपूर्वक किया जाना उचित रखा है, कोई प्राद, अधिसूचना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी और न ही उनसे कोई नुकसानी का दावा किया जाएगा.

#### अधिनियम का अध्यादेशों द्वारा प्रभाव होगा

५४. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावों किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे.

#### संबद्धता, मान्यता तथा अनुमोदन

५५. राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी संस्कृत महाविद्यालय या संस्था को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी विद्यमान विधि के अधीन राज्य में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यथास्थिति संबद्ध हो, मान्यता प्राप्त हो या अनुमोदित हो, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के अव्यवहित पश्चात् इस अधिनियम के अधीन इस विश्वविद्यालय द्वारा यथास्थिति संबद्ध या मान्यता प्राप्त अथवा अनुमोदित समझी जाएगी और उस विश्वविद्यालय द्वारा यथास्थिति, उसकी संबद्धता, मान्यता या अनुमोदन समाप्त समझा जाएगा और इस विश्वविद्यालय द्वारा यथास्थिति उसकी संबद्धता, मान्यता या अनुमोदन, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश या विनियम के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए जारी रहेगा.

#### परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना तथा विधान सभा के समक्ष रखा जाना

५६. (१) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम उसके बनने के पश्चात् यथासाध्यशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा.

(3) परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम बनाने की शक्ति में परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम या उनमें से किसी को उस तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देने वाली शक्ति सम्मिलित है जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व की न हो, परन्तु किसी भी परिनियम, अध्यादेश और विनियम में ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे ऐसा परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम लागू किया गया है, हित प्रतिकूलतः प्रभावित होता हो।

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2008

क्र. 4925-259-इकॉस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, "महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (क्रमांक 15 सन् 2008)" का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, उपसचिव,

MADHYA PRADESH ACT

No. 15 of 2008

MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 2006

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Establishment and incorporation of Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya.
4. Objectives of University.
5. Jurisdiction.
6. Prohibition of discrimination in all matters connected with University.
7. Powers and functions of University.
8. Teaching in University.
9. Chancellor of University.
10. Authorities of University.
11. General Council.
12. Chairman, Vice-Chairman and Secretary of General Council.
13. Term of office of members of General Council.
14. Powers of General Council.
15. Meetings of General Council.
16. Executive Council.
17. Chairman and members of Executive Council.
18. Term of office of Executive Council.
19. Powers and functions of Executive Council.
20. Meeting of Executive Council.



**Sections :**

21. Constitution of standing committees and appointment of ad hoc committees.
22. Academic Council.
23. Membership of Academic Council.
24. Powers and duties of Academic Council.
25. Meetings of Academic Council.
26. Finance Committee.
27. Officers of University.
28. Vice-Chancellor.
29. Pro-Vice Chancellor.
30. Heads of Departments.
31. Registrar.
32. Selection Committee.
33. Statutes.
34. Statutes how made.
35. Ordinances.
36. Ordinances how made.
37. Regulations.
38. Appointment of Review Commission.
39. Gratuity and pension.
40. Fund of University.
41. Annual accounts and audit.
42. Financial estimates.
43. Annual report.
44. Execution of contracts.
45. Grant of Sanskrit degree, diploma etc.
46. Honorary degrees.
47. Withdrawal of degree or diploma.
48. Transfer of property.
49. Proceeding of authorities or bodies not to invalidate by vacancies etc.
50. Removable of difficulties at the commencement.
51. Transitory provisions.
52. Special provision for better administration of University in certain circumstances.
53. Indemnity.
54. Act to have overriding effect.
55. Affiliation, recognition and approval.
56. Statutes, Ordinances and regulations to be published in the Official Gazette and to be laid before Legislative Assembly.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 15 of 2008

MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 2006

[Received the assent of the Governor on the 31st July, 2008; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th August, 2008].

An Act to provide for establishment and incorporation of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya in the State of Madhya Pradesh for development of Sanskrit language and for advancement and dissemination of knowledge in the field of Sanskrit Education and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006. Short title, extent and commencement.
- (2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.
2. In this Act, unless the context otherwise requires, Definitions.
  - (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
  - (b) "Chancellor" means the Chancellor of the University;
  - (c) "Executive Council" means the Executive Council of the University;
  - (d) "General Council" means the General Council of the University;
  - (e) "Pro-Vice-Chancellor" means the Pro-Vice-Chancellor of the University;
  - (f) "Registrar" means the Registrar of the University;
  - (g) "Statutes", "Ordinances" and "regulations" means the Statutes, Ordinances and regulations of the University for the time being in force;
  - (h) "University" means the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya established under Section 3;
  - (i) "University Grants Commission" means the University Grants Commission established under Section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956);
  - (j) "Vice-Chancellor" means the Vice-Chancellor of the University.
3. (1) There shall be established in the State of Madhya Pradesh an University by the name of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya. Establishment and incorporation of Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya.
- (2) The head quarters of the University shall be at Ujjain and it may also establish campuses at such other places within or outside the State for the purpose of teaching and research activities.
- (3) The University shall be a body corporate by the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire and hold property both movable and immovable, to transfer any property held by it and to contract and to do all other things necessary for the purposes of its constitution and shall sue and be sued by the said name.



(4) In all suits and proceedings by or against the University, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar or a representative appointed by him or by any person nominated by him for this purpose and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and served on the Registrar.

**Objectives of University.**

4. The objectives of the University shall be:—

- (i) to advance and disseminate learning and knowledge of Sanskrit;
- (ii) to organise lectures, seminars, symposia and conference to promote knowledge of Sanskrit;
- (iii) to hold examinations and confer degrees and other academic distinctions; and
- (iv) to do all such things as are incidental, necessary or conducive to the attainment of all or any of the objectives of the University.

**Jurisdiction.**

5. The jurisdiction of the University shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh :

Provided that the State Government may permit the University to collaborate with any institution outside the State of Madhya Pradesh for carrying out partly or wholly any of its teaching or research activities.

**Prohibition of discrimination in all matters connected with University.**

6. The University shall not discriminate against any citizen of India on grounds of religion, race, caste, creed, sex, place of birth, political or other opinion or any of them in the exercise of powers or performance of functions conferred or imposed upon it by or under this Act.

**Powers and functions of University.**

7. The powers and functions of the University shall be,—

- (i) to administer and manage the University and centres for research, education and instruction as are necessary for the furtherance of the objectives of the University;
- (ii) to provide for instruction in branches of knowledge or learning pertaining to Sanskrit, as the University may deem fit, and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge of Sanskrit;
- (iii) to sponsor and undertake research in all aspects of Sanskrit and social development;
- (iv) to prescribe qualifications and to regulate the admission of students to the University for a course of study for a degree or a diploma;
- (v) to organise and undertake extramural teaching and extension services;
- (vi) to hold examinations and to grant diplomas or certificates, and to confer degrees and other academic distinctions on persons subject to such conditions as the University may determine and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;
- (vii) to confer honorary degrees or other distinctions in the manner laid down in the Statutes;
- (viii) to fix, demand and receive fees and other charges;
- (ix) to institute and maintain halls and hostels and to recognise places of residence for the students of the University and to withdraw such recognition accorded to any such place of residence;

- (x) to institute professorships, associate professorships, assistant professorships, readerships and lecturerships, and any other teaching, academic or research posts required by the University and to make appointments thereto;
- (xi) to create technical, administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;
- (xii) to regulate and enforce discipline among the students and employees of the University and to take such disciplinary measures as may be deemed necessary;
- (xiii) to institute and award fellowships, scholarships, prizes and medals;
- (xiv) to give up and cease from carrying on any classes or departments of the University;
- (xv) to co-operate with any other organization in the matter of education, training and research in Sanskrit and allied subjects for such purposes as may be agreed upon on such terms and conditions as the University may from time to time determine;
- (xvi) to regulate the expenditure and to manage the accounts of the University;
- (xvii) to receive grants, subventions, subscriptions, donations and gifts for the purpose of the University and consistent with the objects for which the University is established;
- (xviii) to purchase, take on lease or accept as gifts or otherwise any land or building or works, which may be necessary or convenient for the purpose of the University on such terms and conditions as it may deem fit and proper and to construct or alter and maintain any such buildings or works;
- (xix) to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any portion of the properties of the University, movable or immovable, on such terms as it may deem fit and proper without prejudice to the interest and activities of the University;
- (xx) to draw and accept, to make and endorse, to discount and negotiate promissory notes, bills of exchange, cheques or other negotiable instruments;
- (xxi) to execute conveyances transfers, reconveyances, mortgages, leases, and agreements in respect of movable or immovable property including Government securities belonging to the University or to be required for the purpose of the University;
- (xxii) to appoint any such person as it may deem fit, to execute an instrument or transact any business or discharge the functions of the University under above clauses (xviii), (xix), (xx) and (xxi);
- (xxiii) to enter into any agreement with Central Government, State Government, the University Grants Commission or other authorities for receiving grants;
- (xxiv) to raise and borrow money on bonds, mortgage, promissory notes or other obligations or securities founded or based upon all or any of the properties and assets of the University or without any securities upon such terms and conditions as it may deem fit and to pay out of the funds of the University all expenses incidental, to the raising of money and to repay and redeem any money borrowed;
- (xxv) to invest the funds of the University or fund entrusted to the University in or upon such securities and in such manner as it may deem fit and from time to time transpose any investment;
- (xxvi) to make such regulations as may, from time to time, be considered necessary for regulating the affairs and the management of the University and to alter, modify and rescind them;



(xxvii) to constitute for the benefit of the academic, technical, administrative and other staff, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed by the Statutes, such pension, insurance, and gratuity as it may deem fit and to make such grants as it may think fit for the benefit of any employees of the University and to aid in establishment and support of the associations, institutions, funds, trusts and conveyance calculated to benefit the staff and the students of the University; and

(xxviii) to do all such other acts and things as the University may consider necessary, conducive or incidental to the attainment or enlargement of all or any of its objectives.

Teaching  
University.

in 8. (1) All recognised teaching in connection with the degrees, diplomas and certificates of the University shall be conducted under the control of the General Council by the teachers of the University in accordance with the syllabus prescribed by the regulations.

(2) The courses and curricula and the authorities responsible for organising such teaching shall be as prescribed by the regulations.

Explanation.—In sub-section (1), "teacher" means professors, associate professors, assistant professors, readers and such other persons appointed with the approval of the Academic Council as well as the Executive Council, for imparting education and conducting research in the college, or institution run by the University.

Chancellor of  
University.

9. (1) The Governor of Madhya Pradesh shall be the Chancellor of the University.

(2) The Chancellor shall have the right to cause inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, libraries and equipments and of any department maintained by the University, and also of the examinations, teaching and other work conducted or done by the University and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(3) The Chancellor shall in every case give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the Chancellor along with such advice as the Chancellor may have offered on the action to be taken thereon.

(5) The Executive Council shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken on the result of such inspection or inquiry.

Authorities of  
University.

10. The following shall be the authorities of the University:—

- (i) the General Council;
- (ii) the Executive Council;
- (iii) the Academic Council;
- (iv) the Finance Committee; and
- (v) such other authorities as may be prescribed by the regulations.

11. (1) There shall be a General Council of the University which shall consist of the following members, namely:— General Council.

**I-Ex officio Members**

- (i) the Chief Minister of Madhya Pradesh;
- (ii) the Minister-in-charge of Higher Education; Government of Madhya Pradesh;
- (iii) the Minister-in-charge of Finance, Government of Madhya Pradesh;
- (iv) the Vice-Chancellor of the University;
- (v) the Principal Secretary / Secretary of Higher Education Department, Government of Madhya Pradesh;
- (vi) the Principal Secretary / Secretary of Finance Department, Government of Madhya Pradesh;
- (vii) the Commissioner, Higher Education, Madhya Pradesh;

**II- Nominated Members**

- (viii) six representatives of Sanskrit Teacher /Açharya from Sanskrit Colleges, and Universities of Madhya Pradesh, who are able to take part in the discussion or debate in Sanskrit.

(2) The members under clause (viii) shall be nominated by the State Government.

12. (1) The Chief Minister of Madhya Pradesh shall be the Chairman of the General Council.

**Chairman, Vice-Chairman and Secretary of General Council.**

(2) The Minister in-charge of Higher Education shall be the Vice Chairman of the General Council.

(3) The Vice-Chancellor of the University shall be the Secretary of the General Council.

13. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and (3) the term of office of the members of the General Council shall be four years.

**Term of office of members of General Council.**

(2) Where a member of the General Council becomes such member by reason of the office or appointment, he holds or is a nominated member, his membership shall terminate when he ceases to hold such office or appointment or, as the case may be, his nomination is withdrawn or cancelled.

(3) A member of the General Council shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the General Council without the leave of the Chairman or acts against the interests of the University.

(4) A member of the General Council may resign his office by a letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect as soon as such resignation has been accepted by him.

(5) Any vacancy in the General Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, of a person by the respective authority entitled to make the same and the person so appointed or nominated shall hold office so long only as the member in whose place he is appointed or nominated could hold office if the vacancy had not occurred.



**Powers of  
General Council.**

14. The General Council shall have the following powers, namely :—

- (i) to exercise the powers and functions of University laid down in section 7, except where such powers are given to some other authority or officer of the University;
- (ii) to review from time to time the broad policies and programmes of the University and to take measures for the improvement and development of the University;
- (iii) to consider and pass resolutions as deemed fit on the annual report, financial estimates annual accounts and the audit reports on such accounts;
- (iv) to delegate all or any of its powers to the Vice-Chancellor or any committee or any sub-committee or to any one or more of its members or any employee of the University and
- (v) to perform such other functions as it may deem necessary for the efficient functioning and administration of the University.

**Meetings of  
General Council.**

15. (1) The General Council shall meet at least once in a year and at least fifteen days notice shall be given for its meetings.

(2) The Chairman shall preside over the meeting and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One third of the total number of members of the General Council shall form the quorum for a meeting.

(4) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairman or the person presiding over the meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the General Council becomes necessary, the Chairman may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the General Council, and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of the members of the General Council and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the General Council and the papers shall be placed before the next meeting of the General Council for confirmation.

(6) A report of the working of the University during the previous year, together with a statement of receipts and expenditure, the balance sheet duly audited, and the financial estimate shall be presented by the Vice-Chancellor to the General Council at its annual meeting.

**Executive Council.**

16. (1) The Executive Council shall be the Chief Executive body of the University.

(2) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

**Chairman and  
members of Executive Council.**

17. (1) The Vice-Chancellor shall be the Chairman of the Executive Council.

(2) The Executive Council shall consist of the following members, namely:—

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) two members of the General Council to be nominated by the General Council;
- (iii) Principal Secretary/Secretary of Higher Education, Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;

- (iv) Principal Secretary / Secretary of Finance; Department, Government of Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary ;
- (v) two whole time teachers of the University by rotation according to seniority cum merit;
- (vi) six persons nominated by the Chancellor, amongst them one each shall be a person belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, and out of these six person two shall be women.

18. (1) Where a person has become a member of the Executive Council by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.

Term of office of Executive Council.

(2) A member of the Executive Council shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude or if a member other than the Vice-Chancellor or a member of a faculty accepts a full time appointment in the University or if he fails to attend three consecutive meetings of the Executive Council without the leave of the Chairman of the Executive Council, or acts against the interests of the University.

(3) Unless their membership of the Executive Council is previously terminated as provided in sub-sections (1) or (2), members of the Executive Council shall relinquish their membership on the expiry of three years from the date on which they become members of the Executive Council.

(4) A member of the Executive Council other than an ex-officio member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Executive Council and such resignation shall take effect as soon as it is accepted by the Chairman of the Executive Council.

(5) Any vacancy in the Executive Council shall be filled either by appointment or nomination, as the case may be, by the respective authority entitled to make the same and on the expiry of the period of the vacancy such appointment or nomination shall cease to be effective.

19. Without prejudice to the provisions of Section, 14, the Executive Council shall have the following powers and functions:—

Powers and functions of Executive Council.

- (i) to create, abolish or classify teaching posts in the University and to determinate the qualifications, emoluments and duties attached thereto after considering the recommendations of the Academic Council;
- (ii) to appoint from time to time, the Registrar, the librarian, professors and other members of the teaching staff as may be necessary on the recommendations of the selection committee constituted by regulations for the purpose :

Provided that it shall not be necessary to constitute any selection committee for making appointment:—

- (a) to any supernumerary post; or
- (b) to the post of Professor of a high academic distinction, eminence and professional attainment;
- (iii) to create administrative, ministerial and other necessary posts, and to determine the minimum qualifications and emoluments of such posts;
- (iv) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents, as it may deem fit;



- (v) to transfer or accept transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (vi) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may deem fit;
- (vii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
- (viii) to entertain, adjudicate and to redress any grievances of the officers of the University, the teachers, the students and employees who may, for any reason, feel aggrieved;
- (ix) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;
- (x) to select a common seal for the University and to provide for the custody of the seal;
- (xi) to delegate any of its powers except the powers to make regulations, to any officer or authority either temporarily or permanently; and
- (xii) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be conferred or imposed on it by or under this Act.

**Meeting of Executive Council.**

20. (1) The Executive Council shall meet at least once in four months.

(2) The Chairman of the Executive Council shall preside over a meeting of the Executive Council and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) Four members of the Executive Council, shall form the quorum at any meeting thereof.

(4) Each member of the Executive Council shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Executive Council, the Chairman of the Executive Council, or as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.

(5) If urgent action by the Executive Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Executive Council and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Executive Council and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Executive Council and the papers shall be placed before the next meeting of the Executive Council for confirmation.

**Constitution of standing committees and appointment of ad-hoc committees.**

21. (1) Subject to the provisions of this Act, and the regulations made in this behalf, the Executive Council may, by resolution, constitute such standing committees or appoint ad hoc committees for such purposes and with such powers as the Executive Council may think fit for exercising any power or discharging any function of the University or for enquiring into, reporting or advising upon any matter relating to the University.

(2) The Executive Council, while constituting or appointing committee, shall ensure that the proper representation of the principals, teachers, learned persons of Sanskrit, social workers and/or other learned persons of any subject is made :

Provided that no member, officer or employee of the University shall be nominated as a member for more than two committees.

(3) The Executive Council may also constitute other committees or sub-committees as may be prescribed by regulations.

(4) The Executive Council may co-opt such persons to a standing committee or an ad hoc committee as it considers suitable and may permit them to attend the meetings of the Executive Council.

22. The Academic Council shall be the academic body of the University and shall, subject to the provision of this Act and the Statutes, Ordinances and regulations, made thereunder, have power of control and general regulation of, and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examination of the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by this Act and the Statutes, Ordinances and regulations made thereunder, and It shall have the right to advise the Executive Council on all academic matters.

Academic Council.

23. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:—

Membership of Academic Council.

- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof;
- (ii) three persons from amongst the educationists of repute or men of letters or learned professionals or eminent public men, who are not in the service of the University nominated by the Chairman in consultation with the Executive Council;
- (iii) all the Deans and Heads of the Department of the University nominated by the Vice-Chancellor, not exceeding more than three by rotation;
- (iv) two professors other than the Heads of the Departments, if any; and
- (v) one member of the teaching staff representing associate and assistant professors of the University nominated by the Vice-Chancellor;

Provided that an employee of the University shall not be eligible for nomination under clause (ii) above.

(2) The term of office of the members other than ex officio members shall be three years:

Provided that the term of the first Academic Council shall be five years.

24. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and regulations made thereunder, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

Powers and duties of Academic Council.

- (i) to report on any matter referred or delegated to it by the General Council or the Executive Council;
- (ii) to make recommendations to the Executive Council with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the qualifications, emoluments and duties attached thereto;
- (iii) to formulate and modify or revise schemes for organisation of the faculties and to assign to such faculties their respective subjects and also to report to the Executive Council as the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;
- (iv) to make arrangements through regulations for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;
- (v) to promote research within the University and to require, from time to time, report on such research;
- (vi) to consider proposals submitted by the faculties;
- (vii) to appoint committees for admission to the University;
- (viii) to recognise diplomas and degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the University;



- (ix) to fix, subject to any conditions accepted by the General Council, the time, mode and conditions of competitions for fellowships, scholarships and other prizes and to award the same;
- (x) to make recommendations to the Executive Council in regard to the appointment of examiners and if necessary their removal and the fixation of their fees, emoluments, and travelling and other expenses;
- (xi) to declare the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment of grant of degrees, honours, diplomas, titles and marks of honour;
- (xii) to award stipends, scholarships, medals and prizes, and to make other awards in accordance with the Ordinances and such other conditions as may be attached to the awards;
- (xiii) to publish list of prescribed or recommended text books and to publish syllabus of the prescribed courses of study;
- (xiv) to prepare such forms and registers as are, from time to time, prescribed by regulations; and
- (xv) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and regulation made thereunder.

**Meetings of Academic Council.**

25. (1) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than twice during an academic year.

(2) The Chairman of the Academic Council shall preside over the meeting of the Academic Council and in his absence, the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

(3) One half of the total number of members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.

(4) Each member of the Academic Council shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairman of the Academic Council or, as the case may be, the member presiding over the meeting, shall in addition have a casting vote.

(5) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Vice-Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Academic Council and the action so taken shall be intimated forthwith to all the members of the Academic Council, and the papers shall be placed before the next meeting of the Academic Council for confirmation.

**Finance Committee.**

26. (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following members, namely:—

- (i) the Vice-Chancellor ;
- (ii) three members nominated by the Executive Council from amongst its members;
- (iii) an officer each of the Finance Department and the Higher Education Department (not below the rank of Deputy Secretary) Government of Madhya Pradesh, to be nominated by the State Government;

(2) The Finance Committee shall have the following powers, duties and functions, namely:—

- (i) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Executive Council;

- (ii) to consider all proposals for new expenditure and to make recommendations to the Executive Council;
- (iii) to consider the periodical statements of accounts and to review the finances of the University from time to time and to consider reappropriation statements and audit reports to make recommendations to the Executive Council;
- (iv) to give its views and to make recommendations to the Executive Council on any financial matter affecting the University either on its own initiative or on reference from the Executive Council or the Vice-Chancellor.

(3) The Finance Committee shall meet at least once in six months and three members of the Finance Committee shall form its quorum.

(4) The Vice-Chancellor shall preside over the meetings of the Finance Committee, and in his absence the members present shall elect a person from amongst themselves to preside over the meeting.

27. The following shall be the officers of the University, namely:—

Officers of University.

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Heads of the Departments;
- (iii) the Registrar; and
- (iv) such officers as may be prescribed by the regulations.

28. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of not less than three persons recommended by the committee constituted under sub-section (2) or sub-section (6):

Vice-Chancellor.

Provided that if the person or persons approved by the Chancellor out of those recommended by the committee are not willing to accept the appointment, the Chancellor may call for fresh recommendation from such committee:

Provided further that the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor after consultation with the State Government.

(2) The Chancellor shall appoint a committee consisting of the following persons, namely:—

- (i) one person elected by the Executive Council;
- (ii) one person nominated by the Chairman of the University Grants Commission;
- (iii) one person nominated by the Chancellor.

The Chancellor shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the committee.

(3) For constituting the committee under sub-section (2), the Chancellor shall, six months before the expiry of the term of the Vice-Chancellor, call upon the Executive Council and the Chairman of the University Grants Commission to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Chancellor's communication in this regard, the Chancellor may, further nominate anyone or both the persons, as the case may be.

(4) No person who is connected with the University or any College shall be elected or nominated on the committee under sub-section (2).



(5) The committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Chancellor.

(6) If for any reasons the committee constituted under sub-section (2) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (5), the Chancellor shall constitute another committee consisting of three persons, not connected with the University or any College, one of whom shall be designated as the Chairman, and the committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified from the date of its constitution.

(7) If the committee constituted under sub-section (6) fails to submit the panel within the period specified therein, the Chancellor may appoint any person whom he deems fit, to be the Vice-Chancellor.

(8) The terms and conditions of services of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(9) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of four years, which shall be renewable once by a resolution to that effect by the General Council and upon the expiry of his term, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office.

(10) The Vice-Chancellor shall,—

- (i) ensure that the provisions of this Act and the Statutes, Ordinance and regulations made thereunder are duly observed;
- (ii) have all powers relating to the proper maintenance of discipline in the University.

(11) If, in the opinion of the Vice-Chancellor, any emergency has arisen, which requires that immediate action be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall report the same for confirmation in the next meeting of the Executive Council which in the ordinary course would have dealt with the matter.

(12) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University, and Ex-officio Chairman of the Academic Council and he shall, in the absence of the Chancellor preside over the convocation of the University and confer degrees on persons entitled to receive them.

(13) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of the discipline in the University.

(14) The Vice-Chancellor may take any action in any emergency which in his opinion calls for immediate action and he shall in such a case and as soon as may be thereafter report his action to the authority which will ordinarily have dealt with the matter.

(15) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the University and for a close co-ordination and integration of teaching, research and extension education.

(16) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor,—

- (i) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act; or
- (ii) has acted in a manner prejudicial to the interests of the University; or

(iii) is incapable of managing the affairs of the University;

the Chancellor may, notwithstanding the fact that the terms of office of the Vice-Chancellor has not expired by an order in writing stating the reasons therein, require the Vice-Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

(17) No order under sub-section (16) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice-Chancellor and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(18) As from the date specified in the order under sub-section (16), the Vice-Chancellor shall be deemed to have relinquish the office and the office of the Vice-Chancellor shall fall vacant.

(19) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor by any reasons, the Pro-Vice-Chancellor and in Pro-Vice-Chancellor has been appointed or if the Pro-Vice-Chancellor is not available, the Dean of any faculty nominated by the Chancellor for that purpose shall act as the Vice-Chancellor until the date on which a new Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (7) to fill such vacancy enters upon his office:

Provided that the arrangement contemplated in this section shall not continue for a period of more than six months.

29. The Vice-Chancellor shall nominate one of the Dean as Pro-Vice-Chancellor and he shall hold office during the pleasure of the Vice-Chancellor and shall perform such function as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

Pro-Vice-Chancellor.

30. (1) There shall be a Head of the Department for each of the departments in the University.

Heads of Departments.

(2) The powers, functions, appointments and the conditions of service of the Heads of the Departments shall be as prescribed by the Statutes.

31. (1) The Registrar shall be a wholetime officer of the University and the terms and conditions of service of the Registrar shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Registrar.

(2) The Registrar shall be the ex officio Secretary of the Executive Council, Academic Council, Finance Committee and the faculties, but shall not be deemed to be a member of any of these authorities.

(3) The Registrar shall—

- (i) comply with all directions and orders of the Executive Council and the Vice-Chancellor;
- (ii) be the custodian of the records, common seal, and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;
- (iii) call a meeting of the Executive Council forthwith in an emergency, when neither the Vice-Chancellor nor the officer duly authorised is able to act and to take its discretion for carrying on the work of the University;
- (iv) be directly responsible to the Vice-Chancellor for the proper discharge of his duties and functions;
- (v) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign



powers of attorney and verify the pleadings or depute representatives for the purpose;

- (vi) perform such other duties as may be assigned from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor; and
- (vii) be responsible for maintaining the permanent record of the academic performance of students of the University including the courses taken, grades obtained, degree awarded, prizes or other distinctions won, and any other items pertinent to the academic performance of the students.

(4) In the event of the post of the Registrar remaining vacant for any reason, the Vice-Chancellor may authorise any officer in the service of the University to exercise such powers, functions, and duties of the Registrar as the Vice-Chancellor deems fit.

**Selection Committee.**

32. (1) The Executive Council shall constitute Selection Committee for making recommendations to the Executive Council for appointment to posts of professors, associate professors and other teachers in the University.

(2) The Selection Committee shall consist of the following members:—

- (i) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman of the Committee;
- (ii) the Head of the Department concerned, provided he holds a post not lower than the level of the post for which the selection is to be made;
- (iii) three experts for selecting professors, associate professors and assistant professors nominated by the Vice-Chancellor from amongst a panel of names recommended by the Academic Council and approved by the Executive Council.

(3) The meeting of the Selection Committee shall be convened by the Vice-Chancellor as and when necessary and three members shall constitute its quorum.

**Statutes.**

33. Subject to the provisions of this Act and the Ordinances and regulations made thereunder, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the constitution, powers and duties of such bodies as may be deemed necessary to constitute from time to time;
- (b) the manner of election or appointment and the term of office of the members of the bodies referred to in clause (a) including the continuance in the office of the first members and filling of vacancies of members and all other matters relating to those bodies for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor and his powers and duties;
- (d) the term of office, conditions of service and emoluments of the Pro-Vice-Chancellor and his powers and duties;
- (e) powers and duties of the Registrar, and other officers and employees of the University and the conditions of their service;
- (f) the constitution of a pension and the establishment of an insurance scheme and provision of gratuity and other benefits for the benefit of the officers, teachers and other employees of the University;
- (g) the holding of convocation to confer degrees;
- (h) conferment of honorary degrees;
- (i) the withdrawal of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions;

- (j) the establishment and abolition of faculties, halls, colleges, teaching departments, school of studies and institutions maintained by the University;
- (k) the conditions under which colleges and other institution may be admitted to the privileges of the University;
- (l) the extent of the autonomy which the teaching departments of the University, schools of studies or colleges may have and the matters in relation to which such autonomy may be exercised;
- (m) qualifications of Professors, Readers, Lecturers and other teachers in affiliated colleges and recognized institutions;
- (n) the administration of endowments, and the institutions of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, bursaries, medals, prizes and other awards;
- (o) the emoluments and terms and conditions of service of the officers and the emoluments and scales of teachers of the University paid by the University;
- (p) the mode of determining seniority of Officers and employees of the University;
- (q) the maintenance of a register of registered graduates;
- (r) establishment and constitution of Bureau for publications and translation in Hindi; and
- (s) all other matters which by this Act are to be provided for by Statutes.

34. (1) The first Statutes of the University shall be prepared by the Executive Council,

Statutes how made.

(2) The General Council may, from time to time make, amend or repeal any statutes.

35. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, and regulations made thereunder, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:—

Ordinances.

- (a) the admission of students to colleges, teaching departments, schools of studies and laboratories and levy of fees and their enrolment;
- (b) the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions to be awarded by the University and the qualifications of the same;
- (c) the examinations leading to the degrees, diplomas and certificates of the University;
- (d) the fees to be charged for courses of study in the University and for admission to the examination, degrees and diplomas of the University;
- (e) laying down conditions for appearing at examinations for degrees, diplomas, certificates and other academic distinction;
- (f) conduct of examinations;
- (g) the condition of the award of fellowships, scholarships, studentships, exhibitions, medals, prizes etc;
- (h) the maintenance of discipline amongst the students of the University;
- (i) the conditions of residence of the students of teaching departments, colleges, school of studies and the levy of fees for residence in halls;
- (j) the recognition and inspection of halls;
- (k) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing for them special courses of study;
- (l) giving of moral instructions;
- (m) the management of colleges and other institutions founded or maintained by the University;



- (n) the supervision and inspection of colleges and other institutions admitted to the privileges of the University;
- (o) the duties, qualifications and conditions of appointment including pay scales of teachers of the University paid by the University;
- (p) the duties and powers of the Boards and committees to be appointed by the University jointly with any other University or body;
- (q) the rules to be observed and enforced by affiliated colleges and recognized institutions in respect of transfer of students;
- (r) the register of students to be kept by affiliated colleges and recognised institutions;
- (s) the mode of execution of contracts or agreements by or on behalf of the University;
- (t) the rates at which travelling allowance and daily allowance shall be admissible to the members of the authorities, committees and other bodies of the University, the examiners, the officers and staff of the University;
- (u) constitution of students' union and its mode; and
- (v) all other matters which by this Act are also to be or may be provided for by the Ordinances :

Provided that an Ordinance under item (o) shall be subject to the payment of the salaries to the teachers of the University paid by the University shall be in accordance with scales fixed by the Executive Council by Ordinance with the prior approval of the State Government.

Ordinances how made.

36. (1) All Ordinances except the first Ordinance shall be made by the Executive Council.

(2) An Ordinance made by the Executive Council shall come into force from the date on which it is approved by the General Council.

Regulations.

37. (1) Subject to the provisions of this Act, the Executive Council shall have, in addition to all the other powers vested in it, the power to frame regulations to provide for the administration and management of the affairs of the University :

Provided that the Executive Council shall not make any regulation affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until, such authority has been given an opportunity of expressing the opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council :

Provided further that except with the prior concurrence of the Academic Council, the Executive Council shall not make, amend or repeal any regulation affecting any or all of the following matters, namely:—

- (i) the constitution, powers and duties of the Academic Council;
- (ii) the authorities responsible for organising teaching in connection with the University courses and related academic programmes;
- (iii) the establishment and abolition of faculties, departments, halls and institutions;
- (iv) conditions and modes of appointment of examiners, and conduct and standard of examinations or any other course of study;
- (v) mode of enrollment and admission of students;
- (vi) examinations to be recognised as equivalent to conduct and standard of examinations of the University.

(2) The Academic Council shall have the power to propose regulations on all the matters specified in clauses (i) to (vi) of sub-section (1) and matters connected therewith or incidental thereto.

(3) Where the Executive Council has rejected the draft of a regulation proposed by the Academic Council, the Academic Council may appeal to the Chancellor and the Chancellor may, by order, direct that the proposed regulation may be laid before the next meeting of the General Council for its approval and pending such approval of the General Council it shall have effect from such date as may be specified in that order :

Provided that if the regulation is not approved by the General Council at such meeting, it shall cease to have effect.

(4) All regulations made by the Executive Council shall be placed before the General Council at its next meeting, and the General Council shall have the power to amend or cancel any regulation made by the Executive Council:

Provided that the regulations so far as they relate to the gratuity and pension as enumerated in Section 39, shall come into force only after approval by the General Council.

38. (1) The Chancellor at least once in every five years constitute a commission to review the working of the University and to make recommendations.

Appointment of Review Commission.

(2) The Commission shall consist of not less than three eminent educationists one of whom shall be the Chairman of such Commission appointed by the Chancellor in consultation with the State Government.

(3) The terms and conditions of the appointment of the members shall be such as the Chancellor may determine.

(4) The Commission shall, after holding such enquiry as it deems fit, make its recommendation to the Chancellor.

(5) The Chancellor may take such action on the recommendations as he deems fit.

39. All the permanent employees of the University shall be entitled to the benefit of the gratuity and pension in accordance with such Statutes as may be framed in that behalf.

Gratuity and pension.

40.(1) There shall be for the University, a University Fund which shall include—

Fund of University.

- (i) any contribution or grant made by the State Government ;
- (ii) any contribution or grant made by the University Grants Commission or the Central Government;
- (iii) any bequests, donations, endowments or other grants made by private individuals or institutions;
- (iv) income received by the University from fees and charges; and
- (v) amounts received from any other source.

(2) The amount in the said Fund shall be kept in a scheduled bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934(No. 2 of 1934) or may be invested in such securities authorised by the Indian Trusts Act, 1882(No. 2 of 1882) as may be decided by the Executive Council.

(3) The said Fund may be utilized for such purpose of the University and in such manner as may be prescribed by regulations.

41. (1) The annual accounts of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council.

Annual accounts and audit.



(2) The accounts of the University shall, at least once in a year, be audited by the auditors appointed by the Executive Council:

Provided that the State Government shall have the powers to direct, whenever considered necessary, an audit of the accounts of the University including the institutions managed by it, by such auditors as it may specify.

(3) A copy of the audited accounts together with the audit report shall be placed before the General Council and also shall be submitted to the State Government and thereafter it shall be published by the Executive Council.

(4) The annual accounts shall be considered by the General Council at its annual meeting and the General Council may pass resolutions with reference thereto and communicate the same to the Executive Council and the Executive Council shall consider the suggestions made by the General Council and take such action thereon as it deems fit and the Executive Council shall inform the General Council at its next meeting all actions taken by it or the reasons for not taking action.

Financial estimates.

42. (1) The Executive Council shall prepare before such date as may be prescribed by the regulations, the financial estimates for the ensuing year and place the same before the General Council.

(2) The Executive Council may, in case where the expenditure is in excess of the amount provided in the budget is to be incurred or in cases of urgency for reasons to be recorded in writing, incur expenditure subject to such restrictions and conditions specified in the regulations and where no provision has been made in the budget in respect of such excess expenditure a report shall be made to the General Council at its next meeting.

Annual report.

43. (1) The Executive Council shall prepare an annual report, containing such particulars as are prescribed by regulations or as may be specified by the General Council by passing resolution and the Executive Council shall take action in accordance therewith and the action taken shall be intimated to the General Council.

(2) Copies of the annual report along with the resolution of the General Council thereon shall be submitted to the State Government and the State Government shall, as soon as may be, cause the same to be laid on the table of the Legislative Assembly.

Execution of contracts.

44. All contracts relating to the management and administration shall be executed by the Vice-Chancellor under his seal and signature, when the value of the contract is above ten lakhs of rupees and by the Registrar, when its value does not exceed ten lacs rupees.

Grant of Sanskrit degree diploma etc.

45. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the University shall have power to grant Sanskrit degree, diplomas and other academic distinctions and titles under this Act.

Honorary degrees.

46. If not less than two thirds of the members of Academic Council, recommend that an honorary degree or academic distinction and titles be conferred on any person on the ground that he is in their opinion by reason of eminent attainment and position, fit and proper to receive such degrees or academic distinction and title, the General Council may, by a resolution, decide that the same may be conferred on the person recommended.

Withdrawal of degree or diploma.

47. (1) The General Council may, on the recommendation of the Executive Council, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on or granted to any person, by a resolution passed by the majority of not less than two thirds of the total member of the General Council present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law



for an offence which in the opinion of the General Council involves moral turpitude or if has been guilty of gross misconduct.

(2) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given an reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(3) A copy of the resolution passed by the General Council shall be immediately sent to the person concerned.

(4) Any person aggrieved by the decision taken by the General Council may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of the receipt of such resolution and the decision of the Chancellor in such appeal shall be final.

48. The State Government may transfer to the University, buildings, lands or any other property, whether movable or immovable, for use and management by the University on such conditions and subject to such limitations as the State Government may deem fit for the purpose of this Act.

Transfer of property.

49. (1) No act or proceeding of any authority, committee or body of the University shall be invalid merely by reason of—

Proceeding of authorities or bodies not to invalidate by vacancies etc.

- (a) any vacancy in or defect in the constitution thereof; or
- (b) any defect in the nomination or appointment of a person acting as a member thereto; or
- (c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

(2) No resolution of any authority or body of the University shall be deemed to be invalid on account of any irregularity in the service of notice upon any member provided that the proceedings of such authority or body were not prejudicially affected by such irregularity.

50. If any difficulty arises with respect to the establishment of the University or in connection with the first meeting of any authority of the University or otherwise in first giving effect to the provisions of this Act and the regulations, the Chancellor may, at any time, before all authorities of the University have been constituted, by order, make any appointment or do anything consistent, so far as may be, with the provisions of this Act and the regulations, which appear to him necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty and every such order shall have effect as if such appointment or action had been made or taken in the manner provided in this Act and the Statutes, Ordinances and regulations:

Removal of difficulties at the commencement.

Provided that before making any such order the Chancellor shall ascertain and consider the opinion of the Vice-Chancellor and of such appropriate authority of the University as may have been constituted.

51. Notwithstanding anything contained in this Act, the Vice-Chancellor may, with the previous approval of the Chairman of the General Council and subject to the availability of funds, discharge all or any of the functions of the University for the purpose of carrying out the provisions of this Act and for that purposes may exercise any powers or perform any duties, which by this Act are to be exercised or performed by any authority of the University until, such authority comes into existence as provided by this Act.

Transitory provisions.

52. (1) If the State Government on receipt of a report or otherwise, satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University, and it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to be

Special provision for better administration of University in certain circumstances.



mentioned therein, direct that the provisions of sub-sections (2),(3),(4) and (5) shall, as from the date specified in the notification (hereinafter in this section referred to as the appointed date), apply to the University.

(2) The notification issued under sub-section (1)(hereinafter referred to as the notification) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period by such further period as it may think fit so however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) As from the appointed date the Vice-Chancellor, holding office immediately before the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office, and the Chancellor shall simultaneously with the issue of the notification appoint the Vice-Chancellor, who shall hold office during the period of operation of the notification:

Provided that the Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government and may be removed by the Chancellor in the like manner:

Provided further that the Vice-Chancellor may, notwithstanding the expiration of the period of operation of the notification, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:—

- (i) every person holding office as a member of the Executive Council or the Academic Council, as the case may be, immediately before the appointed date shall cease to hold that office;
- (ii) until the Executive Council or Academic Council, as the case may be is reconstituted, the Vice-Chancellor appointed under sub-section (3) shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Executive Council or Academic Council :

Provided that the Chancellor may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist the Vice-Chancellor so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, the Vice-Chancellor shall take steps to constitute the Executive Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act, and the Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification of the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later :

Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, the Vice-Chancellor shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Chancellor till the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

#### Indemnity.

53. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against and no damages shall be claimed from the University, the Vice-Chancellor, the authorities or officers of the University or any other person in respect of anything which is in good faith done or purported to have been done in pursuance of this Act or any Statutes, ordinances and regulations made thereunder.

54. The provisions of this Act and any Statutes, ordinances and regulations made thereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Act to have over-riding effect.

55. Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force in the State, any Sanskrit college or institution affiliated to, recognised, or, as the case may be, approved by any University established in the State immediately before the commencement of this Act under any existing law shall immediately after the commencement of this Act, be deemed affiliated to, recognised, or, as the case may be, approved by this University under this Act, and its affiliation, recognition, or, as the case may be, approved by that University shall be deemed discontinued and its affiliation to, recognition, or, as the case may be, approved by this University shall be continued subject to the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances or regulations made thereunder.

Affiliation, recognition and approval.

56. (1) Every Statute, Ordinance and regulation made under this Act shall be published in the official Gazette.

Statutes, Ordinances and regulations to be published in the official Gazette and to be laid before Legislative Assembly.

(2) Every Statute, Ordinance and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly.

(3) The power to make Statutes, Ordinances and regulations shall include the power to give retrospective effect from the date not earlier than the date of commencement of this Act, to the Statutes, Ordinances and regulations or any of them but no retrospective effect shall be given in any Statute, Ordinance and regulation so as to prejudicially affect the interest of any person to whom such Statute, Ordinance and regulation made be applicable.



मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय को पूर्व अदावगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत्त.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिपोजन  
सं. प्र-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अप्रैल 2010—वैत्र 29, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. 2518-155-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 अप्रैल 2010 को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण को-जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक १४ सन्-२०१०.

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१०.

विषय-सूची

सारांश :

1. संक्षिप्त नाम.
2. प्रोद्धारण का संशोधन.
3. वृहद् शीर्षक का संशोधन.
4. धारा १ का संशोधन.
5. धारा २ का संशोधन.
6. धारा ३ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१०.

## महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

[ दिनांक १५ अप्रैल, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १९ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई। ]

महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के एकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.
- प्रोद्धारण का संशोधन. २. महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रोद्धारण में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं.
- वृहद् शीर्षक का संशोधन. ३. मूल अधिनियम के वृहद् शीर्षक में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं.
- धारा १ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा १ में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं.
- धारा २ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ज) में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं.
- धारा ३ का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ३ में,—
- (एक) पार्श्व शीर्ष में, "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं
- (दो) उपधारा (१) में, शब्द "संस्कृत" के पश्चात्, शब्द "एवम् वैदिक" अंतःस्थापित किए जाएं;

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. 2519-155-इकीस-अ(प्र.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, महर्षि पाणिनी संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 14 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.



MADHYA PRADESH ACT  
No. 14 of 2010.

MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of citation.
3. Amendment of long title.
4. Amendment of Section 1.
5. Amendment of Section 2.
6. Amendment of Section 3.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 14 of 2010.

MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 15th April, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th April, 2010.]

An Act to amend Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. This Act may be called the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.   | Short title.             |
| 2. In the citation of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008) (hereinafter referred to as the principal Act), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted. | Amendment of citation.   |
| 3. In the long title of the Principal Act, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.  | Amendment of long title. |
| 4. In Section 1 of the Principal Act, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.   | Amendment of Section 1.  |
| 5. In Section 2 of the Principal Act, in clause (h), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.  | Amendment of Section 2.  |
| 6. In Section 3 of the principal Act,—   | Amendment of Section 3.  |
| (i) in the marginal heading, after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted;  |                          |
| (ii) In sub-section (1), after the word "Sanskrit", the words "Evam Vedic" shall be inserted.  |                          |

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2020—माघ 3, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 1320-19-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.



## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०२०

## महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९

[ दिनांक २२ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा २८ का संशोधन.

२. महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) की धारा २८ में,—

(एक) उपधारा (२) में, खण्ड (एक) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(एक) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया एक व्यक्ति;”;

(दो) उपधारा (३) में, शब्द “कार्य परिषद्” के स्थान पर, शब्द “राज्य सरकार” स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

क्र. 1320-19-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (क्रमांक ७ सन् २०२०) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2020

THE MAHARSHI PANINI SANSKRIT VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHINIYAM,  
2019

[Received the assent of the Governor on the 22nd January, 2020; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 23rd January, 2020.]

**An Act further to amend the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. In Section 28 of the Maharshi Panini Sanskrit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2006 (No. 15 of 2008),— **Amendment of Section 28.**

(i) in sub-section (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) one person nominated by the State Government;"

(ii) in sub-section (3), for the words "Executive Council", the words "State Government" shall be substituted.